रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938
No. 238]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/ CHAITRA 12, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2016

सं. फेमा 13(आर)/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 388(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.13/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति द्वारा, भले ही वह व्यक्ति भारत में निवास करता हो अथवा निवास न करता हो, भारत में अपनी परिसंपत्तियों का भारत से बाहर विप्रेषण करने के बाबत निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

(ii) "प्राधिकृत व्यापारी" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;

(iii) "अनिवासी भारतीय (NRI)" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में उसके लिए यथा निर्धारित अर्थ से है;

(iv) "भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)" का तात्पर्य वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 में उसके लिए निर्धारित है;

(v) 'परिसंपत्तियों के विप्रेषण' का तात्पर्य भारत से बाहर ऐसी निधियों के विप्रेषण से है जो किसी बैंक अथवा किसी फर्म अथवा किसी कंपनी में जमा धनराशि, भविष्य निधि शेष अथवा अधिवर्षिता लाभ, दावे अथवा बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि, शेयरों, प्रतिभूतियों, अचल सम्पत्ति की बिक्रीगत राशि अथवा अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों के अनुसार भारत में धारित अन्य परिसंपत्तियों को दर्शाता हो;

(vi) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही तात्पर्य होंगे जो अधिनियम में निर्दिष्ट हैं।

3. भारत में धारित परिसंपत्तियों का भारत से बाहर विप्रेषण करने पर प्रतिबंध :-

जब तक अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी व्यक्ति, भले ही वह भारत में निवासी हो अथवा न हो, वह स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में धारित परिसंपत्ति का विप्रेषण नहीं करेगाः

बशर्ते, यह कि पर्याप्त कारण होने पर रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति को उसके द्वारा भारत में धारित किसी परिसंपत्ति का विप्रेषण करने के लिए स्वयं उसे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति प्रदान कर सकता है ।

4. कतिपय मामलों में परिसंपत्तियों के विप्रेषण की अनुमति

(1) किसी अन्य देश का कोई नागरिक, जो "भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO)" अथवा नेपाल अथवा भूटान का नागरिक न हो, जो –

(i) भारत में किसी नौकरी से सेवा-निवृत्त हुआ हो, अथवा

(ii) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से उसने परिसंपत्तियों को उत्तराधिकार में पाया हो; अथवा

(iii) भारत से बाहर की/का निवासी कोई विधवा/विधुर है और जिसने अपने मृतक पति/पत्नी, जो भारत का/की निवासी भारतीय नागरिक था/थी, की परिसंपत्तियां उत्तराधिकार में पायी हों,

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, उत्तराधिकार अथवा वसीयत के रूप में प्राप्त करने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रति वित्तीय वर्ष 10,00,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) तक की राशि का विप्रेषण किसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसे विप्रेषण की वार्षिक उच्चतम सीमा के आकलन के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2016 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अनुसार किसी अन्य देश के नागरिक द्वारा प्रत्यावर्तन के आधार पर स्वाधिकृत अथवा धारित शेयरों और अचल सम्पत्ति की बिक्रीगत आगम राशि दर्शाने वाली निधियां इसमें सम्मिलित नहीं की जाएंगी:

बशर्ते यह भी कि जब कभी एक से अधिक किस्तों में रकम विप्रेषित की जाए तो सभी किस्तों के विप्रेषण एक ही प्राधिकृत व्यापारी के जरिए किए जाने चाहिए।

(iv) कोई व्यक्ति जो भारत में पढ़ाई/प्रशिक्षण के लिए आया हो और अपनी पढ़ाई/अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, वह अपने खाते में मौजूद शेष-राशि का विप्रेषण कर सकता है, बशर्ते इस प्रकार की शेष-राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए आए विप्रेषणों से प्राप्त निधियों अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा लायी गयी और प्राधिकृत व्यापारी को बेची गई विदेशी मुद्रा से रुपये में मिली राशि अथवा भारत में सरकार अथवा किसी संगठन से प्राप्त स्टाइपेंड/छात्रवृत्ति की शेष-राशि को दर्शाती हो।

(2) कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) प्रति वित्तीय वर्ष 10,00,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) तक की राशि का विप्रेषण किसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए कर सकता है,

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोले गए अनिवासी (साधारण) खाते (NRO Account) में जमाशेष से/विप्रेषक द्वारा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, उत्तराधिकार अथवा विरासत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार/विरासत में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आगम राशि से;

(ii) माता-पिता में से कोई अथवा किसी रिश्तेदार [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित रिश्तेदार] द्वारा निष्पादित निपटान विलेख के अंतर्गत और विलेखकर्ता (सेटलर) की मृत्यु के बाद निपटान होने पर विलेख-धारक द्वारा मूल निपटान विलेख के प्रस्तुत करने पर;

बशर्ते कि जहां खंड (i) और (ii) के अंतर्गत विप्रेषण एक से अधिक किस्तों में किया जाता है, वहां विप्रेषण की सभी किस्तें उसी (एक ही) प्राधिकृत व्यापारी के जरिए विप्रेषित की जाएंगी:

बशर्ते यह भी कि जहां विप्रेषण एनआरओ (NRO) खाते में जमाशेष से किया जाता है/जाना है, वहां खाताधारक प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि "विप्रेषक के खाते में जमाशेष से विप्रेषण किया जाना है जिसमें जमाशेष भारत में उसे वैध रूप में प्राप्त हुई राशि है और जो किसी अन्य व्यक्ति से उधार नहीं लिया गया है अथवा किसी अन्य एनआरओ खाते से अंतरित नहीं किया गया है तथा यदि ऐसा पाया जाएगा तो खाताधारक फेमा के अंतर्गत स्वयं को दण्ड का भागी बनाएगा।"

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत समापनाधीन भारतीय कंपनियों की परिसंपत्तियों के विप्रेषण की अनुमति भी भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है:

(i) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा विप्रेषण भारत में किसी न्यायालय द्वारा जारी आदेश/सरकारी समापक अथवा स्वैच्छिक समापन के मामले में ऐसे समापक द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में हो; एवं

(ii) तब तक विप्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि विप्रेषक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है :-

(ए) भारत में सभी देयताएं या तो पूरी तरह चुका दी गई हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, इसे पुष्ट करने वाला लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।

(बी) समापन कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, इस आशय का लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र।

(सी) यदि समापन न्यायालय से भिन्न रूप में हो रहा हो तो लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा समापनाधीन कंपनी के विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी विधिक कार्रवाई लंबित नहीं है तथा विप्रेषण की अनुमति देने में कोई अड़चन नहीं है।

5. किसी भारतीय संस्था (एंटिटी) को कतिपय मामलों में निधियों के विप्रेषण की अनुमति :-

(1) भारत में कोई संस्था (एंटिटी) अपने यहाँ नौकरी में रखे गए प्रवासी स्टाफ, जो भारत के निवासी है, परंतु स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं करते, की भविष्य निधि /अधिवर्षिता /पेंशन निधि में अपने अंशदान की राशि का विप्रेषण कर सकती है।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ,

(ए) 'प्रवासी स्टाफ' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भविष्य निधि/अधिवर्षिता/पेंशन निधि भारत से बाहर के उसके मूल नियोक्ता द्वारा भारत से बाहर रखी (maintain की) जाती है।

(बी) 'स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं करते' का तात्पर्य भारत में किसी विशिष्ट अवधि (उसकी अवधि कितनी भी क्यों न हो) अथवा विशिष्ट जॉब / असाइनमेंट, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो, में नियोजन के लिए भारत में निवासी व्यक्ति से है।

6. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय (प्रोजेक्ट कार्यालय को छोड़कर) के बंद होने पर परिसंपत्तियों अथवा समापन पर आगम राशि के विप्रेषण के लिए अनुमति

(1) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थापित किसी शाखा अथवा कार्यालय के बंद होने पर परिसंपत्तियों अथवा समापन पर आगम राशि के विप्रेषण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को आवेदन करना होगा, अर्थात्

(ए) भारत में शाखा अथवा कार्यालय स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति, जहां कहीं लागू हो, की प्रतिलिपि;

(बी) लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र :

(i) विप्रेषणीय राशि किस तरीके से आकलित हुई इस बात का उल्लेख हो और उसके साथ आवेदक की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के समर्थन में विवरण संलग्न हो तथा परिसंपत्तियों के निपटान के तरीके का उल्लेख हो;

(ii) इस बात की पुष्टि की गई हो कि शाखा /कार्यालय द्वारा कर्मचारियों, आदि की उपदान एवं अन्य लाभों की बकाया राशि सहित भारत में सभी देयताएं या तो पूर्णतः पूरी की गई हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है;

(iii) इस बात की पुष्टि की गई हो कि भारत से बाहर के संसाधनों पर उपचित कोई आय (निर्यात की आगम राशि सहित) ऐसी नहीं है जो भारत में प्रत्यावर्तन हेतु शेष है;

(iv) इस बात की पुष्टि की गई हो कि भारत में ऐसे कार्यालय की कार्यप्रणाली के संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट सभी विनियामक अपेक्षाओं का शाखा / कार्यालय ने अनुपालन किया है।

(सी) आवेदक से इस आशय की पुष्टि कि भारत में किसी भी न्यायालय में कोई विधिक कार्रवाई लंबित नहीं है और विप्रेषण करने में कोई अड़चन नहीं है; और

(डी) भारत में कार्यालय के बंद होने के मामले में भारत में कंपनी रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार करके, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के तहत विप्रेषण की अनुमति प्रदान कर सकता है।

7. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेना :-

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित मामलों में परिसंपत्तियों का विप्रेषण करने का इच्छुक हो, रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है, अर्थात

(i) प्रति वित्तीय वर्ष 10,00,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) से अधिक के विप्रेषण हेतु-

(ए) भारत से बाहर का निवासी जो किसी अन्य देश का नागरिक है, उसे विरासत, वसीयत अथवा उत्तराधिकार के कारण; और

(बी) अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) उसके अनिवासी साधारण खाते (NRO Account) में धारित शेष राशियों से / परिसंपत्तियों / उत्तराधिकार / विरासत के तौर पर अधिग्रहीत परिसंपत्तियों की बिक्री से।

(ii) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को इस आधार पर विप्रेषण करना कि यदि भारत से विप्रेषण न किया गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी ;

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवदेनपत्र पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक आवश्यक समझी गई शर्तों के साथ विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

8. करों का भुगतान

इन विनियमों के अंतर्गत विप्रेषण वाला कोई भी लेनदेन भारत में लागू कर संबंधी कानूनों के अधीन होगा।

[फा. सं. 1/31/ई एम/2015]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2016

No. FEMA 13 (R)/2016-RB

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016

G.S.R. 388(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of Notification No. FEMA 13/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following regulations in respect of remittance outside India by a person whether resident in India or not, of assets in India, namely:

1. Short title and commencement:-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016.

ii) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) 'Authorised Dealer' means a person authorised as an authorised dealer under subsection (1) of section 10 of the Act;

(iii) 'Non-Resident Indian' (NRI) shall have the same meaning assigned under the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(iv) 'Person of Indian Origin' (PIO) shall have the same meaning assigned under the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(v) 'Remittance of asset' means remittance outside India of funds representing a deposit with a bank or a firm or a company, provident fund balance or superannuation benefits, amount of claim or maturity proceeds of Insurance policy, sale proceeds of shares, securities, immovable property or any other asset held in India in accordance with the provisions of the Act or rules or regulations made there under;

(vi) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition on Remittance outside India of assets held in India:-

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made or issued thereunder, no person, whether resident in India or not, shall make remittance of any asset held in India by him or by any other person:

Provided that the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit any person to make remittance of any asset held in India by him or by any other person.

4. Permission for remittance of assets in certain cases:-

(1) A citizen of foreign state, not being a Person of Indian origin (PIO) or a citizen of Nepal or Bhutan, who

(i) has retired from an employment in India, or

(ii) has inherited the assets from a person referred to in sub-section (5) of section 6 of the Act; or

(iii) is a widow/ widower resident outside India and has inherited assets of the deceased spouse who was an Indian citizen resident in India, may remit through an authorised dealer an amount, not exceeding USD 1,000,000 (US Dollar One million only) per financial year on production of documentary evidence in support of acquisition, inheritance or legacy of assets by the remitter

Provided that for the purpose of arriving at annual ceiling of remittance, the funds representing sale proceeds of shares and immovable property owned or held by the citizen of foreign state on repatriation basis in accordance with the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations, 2016 and Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000 made under the Act, shall not be included.

Provided further that where the remittance is made in more than one instalment, the remittance of all instalments shall be made through the same authorised dealer.

(iv) had come to India for studies/ training and has completed his studies/ training, may remit the balance available in his account, provided such balance represents funds derived out of remittances received from abroad through normal banking channels or rupee proceeds of foreign exchange brought by such person and sold to an authorised dealer or out of stipend/ scholarship received from the Government or any Organisation in India.

(2) A Non-Resident Indian (NRI) or a Person of Indian Origin (PIO) may remit through an authorised dealer an amount, not exceeding USD 1,000,000 (US Dollar One million only) per financial year,

(i) out of the balances held in the Non-Resident (Ordinary) Accounts (NRO accounts) opened in terms of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016/ sale proceeds of assets/ the assets acquired by him by way of inheritance/ legacy on production of documentary evidence in support of acquisition, inheritance or legacy of assets by the remitter;

(ii) Under a deed of settlement made by either of his parents or a relative (relative as defined in Section 2(77) of the Companies Act, 2013) and the settlement taking effect on the death of the settler, on production of the original deed of settlement;

Provided that where the remittance under Clause (i) and (ii) is made in more than one instalment, the remittance of all instalments shall be made through the same Authorised Dealer.

Provided further that where the remittance is to be made from the balances held in the NRO account, the account holder shall furnish an undertaking to the Authorised Dealer that "the said remittance is sought to be made out of the remitter's balances held in the account arising from his/ her legitimate receivables in India and not by borrowing from any other person or a transfer from any other NRO account and if such is found to be the case, the account holder will render himself/ herself liable for penal action under FEMA."

(3) An authorised dealer in India may, also allow remittance out of the assets of Indian companies under liquidation under the provisions of the Companies Act, 2013, subject to the following conditions:

(i) Authorised Dealer shall ensure that the remittance is in compliance with the order issued by a court in India/ order issued by the official liquidator or the liquidator in the case of voluntary winding up; and

(ii) no remittance shall be allowed unless the applicant submits:-

(a) Auditor's certificate confirming that all liabilities in India have been either fully paid or adequately provided for.

(b) Auditor's certificate to the effect that the winding up is in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

(c) In case of winding up otherwise than by a court, an auditor's certificate to the effect that there is no legal proceedings pending in any court in India against the applicant or the company under liquidation and there is no legal impediment in permitting the remittance.

5. Permission to an Indian entity to remit funds in certain cases:-

(1) An entity in India may remit the amount being its contribution towards the provident fund/ superannuation/ pension fund in respect of the expatriate staff in its employment who are resident in India but not permanently resident therein.

Explanation:

For the purpose of this Regulation, -

(a) 'expatriate staff' means a person whose provident/ superannuation/ pension fund is maintained outside India by his principal employer outside India;

(b) 'not permanently resident' means a person resident in India for employment of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed three years.

6. Permission for remittance of assets on closure or remittance of winding up proceeds of branch office/ liaison office (other than project office)

(1) A branch or office established in India by a person resident outside India may, for making remittance of assets on closure or remittance of its winding up proceeds, apply to the Authorised Dealer concerned supported by the following documents, namely:

(A) A copy of the Reserve Bank's permission for establishing the branch/ office in India, wherever applicable;

(B) Auditor's certificate:

(i) indicating the manner in which the remittable amount has been arrived and supported by a statement of assets and liabilities of the applicant, and indicating the manner of disposal of assets;

(ii) confirming that all liabilities in India including arrears of gratuity and other benefits to the employees etc., of the branch/ office have been either fully met or adequately provided for;

(iii) confirming that no income accruing from sources outside India (including proceeds of exports) has remained un-repatriated to India; and

(iv) confirming that the branch/office has complied with all regulatory requirements stipulated by the Reserve Bank of India from time to time regarding functioning of such offices in India.

(C) A confirmation from the applicant that no legal proceedings are pending in any Court in India and there is no legal impediment to the remittance; and

(D) A report from the Registrar of Companies regarding compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, in case of winding up of the office in India.

(2) On consideration of the application made under sub-regulation (1), the authorized dealer concerned may permit the remittance subject to the directions issued by the Reserve Bank in this regard, from time to time.

7. Reserve Bank's prior permission in certain cases:-

(1) A person who desires to make a remittance of assets in the following cases, may apply to the Reserve Bank, namely:

(i) Remittance exceeding USD 1,000,000 (US Dollar One million only) per financial year –

(a) on account of legacy, bequest or inheritance to a citizen of foreign state, resident outside India; and

(b) by a Non-Resident Indian (NRI) or Person of Indian Origin (PIO), out of the balances held in NRO accounts/ sale proceeds of assets/ the assets acquired by way of inheritance/ legacy.

(ii) Remittance to a person resident outside India on the ground that hardship will be caused to such a person if remittance from India is not made;

(2) On consideration of the application made under sub-regulation (1), the Reserve Bank may permit the remittance, subject to such terms and conditions as it deem necessary.

8. Payment of taxes:-

Any transaction involving remittance of assets under these regulations shall be subject to the applicable tax laws in India.

[F. No. 1/31/EM/2015]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-charge

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अप्रैल, 2016

सं. फेमा. 5 (आर)/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 389(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में निवासी किसी व्यक्ति और भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के बीच जमाराशियों के रखने के संबंध में निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-

i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे ।

ii) वे, विनियम 7 के उप-विनियम (2) को छोड़कर, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। विनियम 7 के उप-विनियम (2) के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह 21 जनवरी 2016 से लागू है।

2. परिभाषाएँ:-

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

(ii) "प्राधिकृत बैंक" का तात्पर्य सहकारी बैंक सहित ऐसे बैंक (प्राधिकृत व्यापारी से भिन्न) से है, जिसे भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के खाते बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(iii) "प्राधिकृत व्यापारी" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;

(iv) "जमाराशि" में किसी बैंक, कंपनी, स्वामित्ववाली संस्था, भागीदारी फ़र्म, निगमित निकाय, न्यास अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा धन शामिल है;

(v) "एफ़सीएनआर (बी) खाते" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) में संदर्भित विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से है;

(vi) "अनिवासी भारतीय (NRI)" का तात्पर्य भारत से बाहर के निवासी उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक है;

(vii) "एनआरई खाते" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (i) में संदर्भित अनिवासी बाह्य खाते से है;

(viii) "एनआरओ खाते" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (iii) में संदर्भित अनिवासी सामान्य खाते (NRO) से है;

(ix) "अनुमत करेंसी" का तात्पर्य मुक्त रूप में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा (करेंसी) से है ;

(x) "भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का तात्पर्य भारत से बाहर के निवासी उस व्यक्ति से है जो बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान से भिन्न किसी देश अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य देश का नागरिक है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

ए) जो भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के तहत भारत का नागरिक था; अथवा

बी) जो उस भूभाग से सम्बद्ध था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना; अथवा

सी) जो भारत के नागरिक अथवा खंड (ए) अथवा (बी) में संदर्भित व्यक्ति की संतान अथवा पौत्र-पौत्री/नाती-नातिन अथवा परपौत्र-परपौत्री/परनाती/परनातिन है; अथवा

डी) जो भारत के नागरिक का/की विदेशी मूल का पति/की पत्नी अथवा खंड (ए) अथवा (बी) अथवा (सी) में संदर्भित व्यक्ति का/की विदेशी मूल का पति/की पत्नी है;

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, "भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)" अभिव्यक्ति में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) के अर्थों में 'भारत के ओवरसीज़ नागरिक (OCI)' का कार्ड-होल्डर शामिल है"।

(xi) "अनुसूची" का तात्पर्य इस विनियमावली की अनुसूची से है;

(xii) "एसएनआरआर खाते" का तात्पर्य विनियम 5 के उप-विनियम (4) में संदर्भित विशेष अनिवासी रुपया खाते से है;

(xiii) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में निर्धारित किए गए/दिए गए हैं।

3. भारत में निवासी किसी व्यक्ति और भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के बीच जमाराशियां रखने पर प्रतिबंध :-

अधिनियम अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित अथवा जारी विनियमों अथवा नियमों, निदेशों और आदेशों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से न तो कोई जमाराशि स्वीकार करेगा और न ही उसे कोई राशि जमा के रूप में देगा।

बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदन किए जाने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जमाराशियां स्वीकार करने अथवा राशि जमा के रूप में देने/रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4. छूट :-

इन विनियमों में निहित कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगाः

1) विदेशी राजनयिक मिशनों और राजनयिक कार्मिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रुपया खातों में धारित जमाराशियाँ।

2) राजनयिक मिशनों तथा राजनयिक कार्मिकों द्वारा विशेष रुपया खातों अर्थात डिप्लोमेटिक बांड स्टोर्स एकाउंट में धारित जमाराशियाँ, जो बांड में स्टोर्स के आयात के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष सुविधाओं के रूप में उन्हें इसलिए मंजूर की गई हैं कि वे फर्मों और कंपनियों से बांडेड स्टॉक निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खरीद सकें:

ए) खाते में जमा केवल बैकिंग चैनल से भारत के बाहर से प्राप्त विप्रेषणों की आगम राशि से अथवा इस विनियम के खंड 3 के अनुसार किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास खाताधारक द्वारा भारत में रखे गये विदेशी मुद्रा खाते से अंतरण के रूप में हों;

बी) खाताधारक को जारी किये गये प्रत्येक चेक पर "डिप्लोमेटिक बांड स्टोर्स एकाउंट नंबर" लिखा (superscribe) हो;

सी) स्थानीय संवितरणों, अथवा बांड में स्टोर्स के आयात के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष सुविधाएं प्राप्त फर्मों और कंपनियों से बांडेड स्टॉक की खरीद के लिए भुगतानों हेतु खाते को नामे किया जा सकेगा;

डी) ऐसे खाते में रखी निधियों का भारत से बाहर प्रत्यावर्तन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना किया जा सकता है।

3) राजनयिक मिशनों, राजनयिक कार्मिकों तथा गैर-राजनयिक स्टाफ, जो संबन्धित बाहरी देशों के राष्ट्रिक हैं और भारत में विदेशी दूतावासों के सरकारी पासपोर्ट धारक हैं, द्वारा विदेशी मुद्रा में रखे गये खातों में धारित जमाराशियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगीः

ए) खाते में जमा केवल निम्नवत होगी :-

(i) भारत के बाहर से बैकिंग चैनल से आवक विप्रेषणों की आगम राशि के रूप में;

(ii) भारत में राजनयिक मिशन द्वारा वीज़ा शुल्क के रूप में वसूल की गई और रुपया खाते में जमा की गई राशियों से निधियों का अंतरण;

बी) ऐसे खाते में धारित निधियों को यदि रुपये में परिवर्तित किया जाता है तो उन्हें पुनः विदेशी मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा;

सी) खाते चालू अथवा मीयादी जमा खाते के रूप में रखे जा सकते हैं और राजनयिक कार्मिकों एवं गैर-राजनयिक स्टाफ के मामले में इन्हें बचत खाते के रूप में भी रखा जा सकता है;

डी) बचत अथवा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर उस प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी जिसके पास खाता खोला गया है/हो;

ई) खाते में से भारत के बाहर निधियों का प्रत्यावर्तन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना किया जा सकता है।

4) नेपाल और भूटान में निवासी व्यक्ति/यों द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रुपये में रखे खातों में धारित जमाराशियां;

5) भारत जिसका सदस्य देश है ऐसे बहुपक्षीय संगठन और उसके सहायक संगठन / सम्बद्ध निकाय और ऐसे बहुपक्षीय संगठन के भारत स्थित अधिकारियों (officials) द्वारा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे खाते में धारित जमाराशियां।

5. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना :-

1) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी निम्नानुसार जमाराशियां स्वीकार कर सकता है:

i) अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (बाह्य) खाता (एनआरई खाता) योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीय से;

ii) अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर (बी)खाता) के अंतर्गत अनिवासी भारतीय से;

iii) अनुसूची-3 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी (सामान्य/साधारण) खाता योजना (एनआरओ खाता) के अंतर्गत, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से;

2) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-विनियम के खंड (i) और (iii) में संदर्भित एनआरई तथा एनआरओ खाता योजना के अंतर्गत संबंधित अनुसूचियों में अंकित उपबंधों के अनुसार किसी प्राधिकृत बैंक द्वारा, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, भी जमाराशियां स्वीकार की जा सकती हैं।

3) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उप-विनियम के खंड (ii) में संदर्भित विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, भी जमाराशियां स्वीकार की जा सकती हैं।

4) भारत में व्यावसायिक हित रखने वाला भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास, अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट, विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है।

5) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निवासी अथवा अनिवासी अर्जक भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्क्रो खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है।

6. प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक से भिन्न व्यक्ति द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना :-

1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कोई कंपनी अथवा संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित कोई कंपनी निकाय किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति से प्रत्यावर्तनीय आधार पर जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करेगी / नहीं करेगा। हालांकि, ऐसी कंपनी अनुसूची-6 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति से प्रत्यावर्तनीय आधार पर स्वीकार की गई जमाराशियों को नवीकृत कर सकती है।

2) भारत में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा कंपनी निकाय, स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा फ़र्म किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनुसूची-7 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है।

3) कोई भारतीय कंपनी किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी कर के जमाराशियाँ स्वीकार कर सकती है, अर्थात :

ए) ऐसा निर्गम रिज़र्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग कंपनी (वाणिज्यिक पत्र के मार्फत जमाराशियाँ स्वीकार करना) निदेश, 1989 के साथ-साथ सरकार अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी द्वारा वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के जरिए जमाराशियाँ स्वीकार करने के संबंध में जारी किसी अन्य विधि, नियम, निदेश, आदेश के अनुपालन में/ अनुरूप हो;

बी) जारीकर्ता कंपनी द्वारा वाणिज्यिक पत्र के निर्गम का भुगतान भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिए आवक विप्रेषण अथवा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार किसी अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए जमा खाते में धारित निधियों से प्राप्त होना चाहिए;

सी) वाणिज्यिक-पत्र में निवेशित राशि, भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी; और

डी) वाणिज्यिक पत्र अंतरणीय नहीं होगा ।

7. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अन्य राशियाँ जमा करना अथवा धारण करना :-

1) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से बाहर अपनी शाखा, प्रधान कार्यालय अथवा तदनुरूपी बैंक के पास रखी गई जमा, और किसी प्राधिकृत व्यापारी की भारत से बाहर की शाखा अथवा तदनुरूपी बैंक द्वारा रखी गई जमा, और जो भारत में बहियों में दर्ज है, वह, समय-समय पर, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों द्वारा विनियमित होगी।

2) भारत से बाहर निगमित जहाजरानी अथवा एयरलाइन कंपनी भारत में अपने स्थानीय व्ययों को पूरा करने के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अपना विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है, धारण कर सकती है और रख सकती है।

बशर्ते केवल भारत में उसके द्वारा माल-भाड़े अथवा यात्री किराए के रूप में वसूल की गई राशियों अथवा भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषणों से प्राप्त राशियां ऐसे खाते में जमा की जाएंगी।

3) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के तहत किसी विदेशी कंपनी / एंटिटी को भारत में संविदा के कार्यान्वयन के लिए भारत में किसी एंटिटी के साथ अनिगमित संयुक्त उद्यम (UJV) को अपने सामान्य व्यावसायिक लेनदेनों को करने के लिए अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता और विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति दे सकता है। ऐसे खाते से किए गए नामे और उसमें की गई जमा अनिगमित संयुक्त उद्यम की कारोबारी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

बशर्ते कि ऐसे खाते की अवधि संविदा अवधि / अनिगमित संयुक्त उद्यम की परिचालन अवधि के समान होगी।

बशर्ते यह कि ऐसे खाते से किए गए सभी परिचालन उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी निदेशों के अनुरूप होंगे ।

नोट: पाकिस्तान / बांग्लादेश के स्वामित्व / की राष्ट्रीयता वाली कंपनियों/एंटीटीज़ द्वारा खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

4) प्राधिकृत व्यापारी, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत भारत में आयातित माल के मूल्य के बदले भारत से निर्यातित माल के मूल्य के समायोजन हेतु भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के नाम में विदेशी मुद्रा में नामित (expressed) खाता खोल सकता है।

8. नामांकन

प्राधिकृत व्यापारी व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा इन विनियमों के अनुसार रखी गई जमाराशियों / रखे गए खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।

अनुसूची 1
[विनियम 5(1)(i) देखें]

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना - एनआरई खाता

1. पात्रता

अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) को प्राधिकृत व्यापारियों तथा ऐसे खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) में खाते खोलने और बनाये रखने के लिए अनुमति दी गई है।

अनिवासी भारतीय द्वारा स्वयं, न कि भारत में उसके अटर्नी अधिकार धारक द्वारा, खाता खोला जाना चाहिए।

2. खातों के प्रकार

खाते किसी भी रूप में, अर्थात् बचत, चालू, आवर्ती अथवा सावधि जमा खाते, आदि के रूप में रखे जा सकते हैं।

3. अनुमत जमा (permitted credits)

ए) किसी भी अनुमत करेंसी में भारत में विप्रेषणगत आगम राशि।

बी) अपने विदेशी मुद्रा खाते पर खाताधारक द्वारा आहरित व्यक्तिगत चेक तथा यात्री चेकों की राशि, भारतीय रुपये में अभिव्यक्त ऐसे लिखतों जिनकी प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में की जायेगी सहित अनुमत करेंसी में देय बैंक ड्राफ्ट, भारत में अपने अस्थायी दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा स्वयं जमा की गई राशि, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी/बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक अब भी भारत से बाहर का निवासी है, यात्री चेक/ड्राफ्ट खाताधारक के नाम में/पृष्ठांकित हो तथा यात्री चेक के मामले में वे भारत के बाहर जारी किये गये हों।

सी) भारत में अस्थाई दौरे के दौरान खाताधारक द्वारा विदेशी मुद्रा / बैंक नोटों से जमा की गई राशि, बशर्ते (i) जहां लागू हो वहां राशि की घोषणा करेंसी घोषणा फार्म में की गई हो, तथा (ii) खाताधारक ने स्वयं प्राधिकृत व्यापारी को नोट प्रस्तुत किये हों और प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि खाताधारक भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति है।

डी) अन्य एनआरई / एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरण।

ई) खाते में धारित निधियों पर उपचित ब्याज।

एफ़) खातेधारक को भारत में प्राप्य चालू आय, बशर्ते भारत में लागू करों का भुगतान किया जाए।

जी) भारत में अनुमत निवेश की परिपक्वता अथवा बिक्रीगत आगम राशि जो खाताधारक के एनआरई/एफ़सीएनआर(बी) खाते को नामे कर के अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से प्राप्त आवक विप्रेषण से मूल रूप में प्राप्त हुई हो।

बशर्ते कि ऐसे निवेश करते समय यथा लागू विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार निवेश किया गया हो।

एच) भारतीय कंपनियों के नये निर्गमों के शेयरों/डिबेंचरों में अभिदान की वापसी या उसका कोई हिस्सा, यदि अभिदान की राशि की अदायगी खाताधारक के उसी अथवा अन्य एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में से अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से विप्रेषण द्वारा की गई हो।

आई) फ्लैट / प्लॉट के आबंटन न होने पर भवन निर्माता एजेंसियों / विक्रेताओं द्वारा आवेदन-राशि / अमानती राशि / खरीद प्रतिफल, आवासीय / वाणिज्यिक संपत्ति की बुकिंग/ खरीद सौदे के रद्द होने पर ब्याज सहित, यदि कोई हो, धन-वापसी (उस पर देय आयकर के बाद शेष राशि), बशर्ते मूल भुगतान खाताधारक के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में से अथवा बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से विप्रेषण द्वारा किया गया हो और प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हो।

जे) अन्य कोई जमा यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अंतर्गत आती हो।

4. अनुमत नामे

ए) स्थानीय संवितरण (disbursement)।

बी) भारत से बाहर विप्रेषण।

सी) खाताधारक के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खातों अथवा ऐसे खाते रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के खातों में अंतरण।

डी) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों / प्रतिभूतियों / वणिज्यिक पत्रों में निवेश अथवा भारत में अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए, बशर्ते इस प्रकार का निवेश / क्रय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों अथवा सामान्य / विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।

ई) अन्य कोई लेनदेन यदि वह रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सामान्य अथवा विशेष अनुमति के अंतर्गत आता हो।

5. ब्याज दर

इन खातों पर देय ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

6. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण

(1) खाताधारक को : ऐसे खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारियों तथा बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित के लिए खाताधारक को भारत में ऋण दे सकते हैं:

ए) ऋण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :-

i) पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर व्यक्तिगत प्रयोजन अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए।

ii) भारतीय फर्मों / कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश के लिए बशर्ते वह उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित संबन्धित विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो।

iii) अपने आवासीय उपयोग के लिए भारत में अर्जित फ्लैट / मकान के लिए बशर्ते उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित संबन्धित विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो ।

बी) अदायगी या तो जमाराशियों के समायोजन से या फिर बैंकिंग चैनल के जरिए भारत के बाहर से प्राप्त नये आवक विप्रेषणों अथवा उधारकर्ता के अनिवासी साधारण खाते में स्थानीय रुपया संसाधनों में से की जा सकती है।

(2) तीसरे पक्ष को: प्राधिकृत व्यापारी और प्राधिकृत बैंक भारत में निवासी व्यक्तियों/ फर्मों/कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एनआरई खाते में धारित सावधि जमाराशियों की संपार्श्विक जमानत पर ऋण प्रदान कर सकते हैं :

i) पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर, व्यक्तिगत प्रयोजन अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए।

ii) निवासी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ऐसी सुविधाएं दिलाने के लिए अपनी जमाराशियों को गिरवी रखने हेतु सहमत होने वाले अनिवासी जमाकर्ता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में विदेशी मुद्रा के रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होना चाहिए;

iii) व्यापार/उद्योग को दिये जाने वाले अग्रिमों के मामले में लागू सामान्य मानदंड तथा शर्तें इन ऋण सुविधाओं पर भी लागू होंगी।

(3) भारत से बाहर ऋण - प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर स्थित अपनी शाखाओं / तदनुरूपी बैंकों को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे भारत में एनआरई खातों में धारित निधियों की जमानत पर तथा बकाया राशि की चुकौती के लिए यदि आवश्यक हो तो भारत से निधियां भेजने पर सहमति सहित वास्तविक प्रयोजनों के लिए जमाकर्ता के अनुरोध पर अनिवासी जमाकर्ता को अथवा तीसरे पक्ष को, पुनः उधार देने अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को छोडकर, ऋण दे सकते हैं ।

(4) प्राधिकृत व्यापारी/बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अग्रिम सावधि जमाराशियों से पूरी तरह सुरक्षित हों और सामान्य मर्जिन, ब्याज दर, आदि से संबन्धित विनियमों का पालन किया जाना चाहिए।

(5) इस पैराग्राफ के अंतर्गत स्वीकृत ऋण उन निदेशों के अंतर्गत होंगे जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।

(6) "ऋण" शब्द में सभी प्रकार की निधि आधारित / गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल होंगी।

7. खाताधारक की निवासी हैसियत में परिवर्तन होने पर

यदि खाताधारक भारत में रोजगार प्राप्त करने, व्यवसाय या कारोबार करने अथवा अनिश्चित काल तक भारत में रहने के इरादे से आता है, तो उसके भारत आते ही, उसके विकल्प पर, एनआरई खाते को निवासी खात में पुनर्नामित किया जाना चाहिए अथवा इन खातों में जमा निधियां आरएफसी खाते (यदि खाताधारक आरएफसी खाता खोलने के लिए पात्र हो) में अंतरित कर दी जानी चाहिए। जब खाताधारक थोड़े समय के लिए ही भारत के दौरे पर आया हो तो भारत में उसके रहने के दौरान भी खाते को एनआरई खाते के रूप में ही जारी रखा जाए।

8. अनिवासी नामिती को निधियों का प्रत्यावर्तन

प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक मृत खाताधारक के एनआरई खाते में रखी निधियों को उसके अनिवासी नामिती को विप्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं।

9. विविध

ए) संयुक्त खाताः निम्नलिखित मामलों में संयुक्त खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है:

i) दो अथवा अधिक अनिवासी भारतीयों और/ अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) के नाम में ।

ii) निवासी रिश्तेदारों के साथ "प्रथम अथवा उत्तरजीवी" के आधार पर। हालांकि, ऐसा निवासी रिश्तेदार, खाताधारक के जीवन काल के दौरान, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: - इस विनियम के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" का तात्पर्य ऐसे रिश्तेदार से है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित है।

बी) अस्थायी दौरे के दौरान खाता खोलनाः भारत में अस्थायी दौरे पर आये पात्र अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) के नाम में विदेशी मुद्रा यात्री चेक अथवा विदेशी मुद्रा नोट और सिक्के प्रस्तुत किये जाने पर खाता खोला जा सकता है, बशर्ते, प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अनिवासी है।

सी) मुख्तारनामे द्वारा परिचालनः प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक एनआरई खाते का परिचालन मुख्तारनामे की शर्तों अथवा अनिवासी खाताधारक द्वारा निवासी के पक्ष में दिये गये अन्य प्राधिकार के अनुसार करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के परिचालन स्थानीय भुगतानों के लिए राशि के आहरण अथवा बैंकिंग चैनल से स्वयं खाताधारक को विप्रेषण करने तक सीमित हों। ऐसे मामलों में जहां खाताधारक अथवा उसके द्वारा नामित बैंक भारत में निवेश करने के लिए पात्र हो, मुख्तारनामा धारक को ऐसे निवेश को सुगम बनाने के लिए खाते का परिचालन करने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी/बैंक द्वारा दी जा सकती है। हालांकि, निवासी मुख्तारनामा धारक को किसी भी परिस्थिति में खाते में धारित राशि को स्वयं खाताधारक के सिवाय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने अथवा खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के जरिये भुगतान करने अथवा किसी अन्य एनआरई खाते में निधियां अंतरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

डी) चेकों की विशेष श्रृंखलाः एनआरई खातों पर आहरित चेकों की आसानी से पहचान करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों / बैंको को एनआरई खाताधारकों को विशेष श्रृंखला वाली चेकबुक जारी करनी चाहिए।

ई) अस्थायी अधि-आहरणः प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक अपने विवेकानुसार / वणिज्यिक निर्णयानुसार एनआरई बचत बैंक खाते से 50,000/- रुपये तक की राशि दो सप्ताहों से अनधिक अवधि के लिए अधि-आहरण के तौर पर लेने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते उस पर ब्याज-सहित अधि-आहरण की राशि उक्त दो सप्ताह के भीतर बैंकिंग चैनल के जरिये आवक विप्रेषणों से अथवा अन्य एनआरई / एफसीएनआर(बी) खातों से अंतरित कर चुका दी जाए।

एफ़) निवासी नामिती द्वारा विदेश में विप्रेषणः मृत खाताधारक की देयताएं, यदि कोई हों, की पूर्ति/चुकौती के लिए अथवा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर निधियां भेजने के लिए निवासी नामिती से प्राप्त आवेदन पत्र रिज़र्व बैंक के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

जी) कर छूटः एनआरई खातों में जमा-शेष पर ब्याज से प्राप्त आय, आयकर से छूट प्राप्त है। इसी प्रकार इन खातों के जमा-शेष भी सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त हैं।

एच) रिपोर्टिंग : रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इन खातों के लेनदेनों की रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जायेगी ।

अनुसूची 2
[विनियम 5(1)(ii) देखें]
विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना – FCNR(B) Account

1. पात्रता

ए) अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) किसी भी प्राधिकृत व्यापारी के पास इन खातों को खोलने और इन्हें रखने के लिए पात्र हैं।

बी) इन खातों को भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल से विप्रेषित निधियों अथवा भारत स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे अनिवासी बैंक खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार प्रत्यावर्तनीय स्वरूप की निधियों से खोला जा सकता है। मौजूदा अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना में से निधियों का अंतरण करते हुए भी इन खातों को खोला जा सकता है।

सी) इन खातों को खोलने अथवा इनमें जमा करने के लिए भारत के बाहर से विप्रेषण उस नामित करेंसी में होने चाहिए जिसमें खाता खोला / रखा जाना है।

इस बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि विप्रेषण नामित करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में प्राप्त होता है (अनिवासी बैंक के खाते में नामे डालते हुए रुपये में प्राप्त निधियों सहित) तो प्राधिकृत व्यापारी को चाहिए कि वह उसे विप्रेषणकर्ता के जोखिम और लागत वहन पर नामित करेंसी में परिवर्तित करे और केवल नामित करेंसी में ही खाता खोला जाना चाहिए / खाते में राशि जमा की जानी चाहिए।

डी) यदि नामित करेंसी से भिन्न किसी करेंसी में जमाकर्ता रकम इन खातों में जमा करना चाहता है तो प्राधिकृत व्यापारी वांछित नामित करेंसी पर जमाकर्ता के साथ पूर्णतः रक्षित स्वाप कर सकता है। ऐसा स्वाप दो नामित करेंसियों के बीच भी किया जा सकता है।

2. नामित करेंसी

इन खातों में जमा करने के लिए निधियां ऐसी अनुमत करेंसी(मुद्रा) में स्वीकार की जा सकती हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए।

3. खाते के प्रकार

इन खातों को केवल उन अवधि की मीयादी जमा के रूप में खोला जा सकता है जिन्हें समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. ब्याज दर

इन जमा खातों में रखी निधियों पर ब्याज दर रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार होगी।

5. अनुमत नामे / जमा

अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट अनिवासी बाह्य/विदेशी खातों के संबंध में अनुमत सभी नामे / जमा इन खातों के लिए भी स्वीकार्य होंगी / अनुमत होंगी।

6. रुपये को नामित करेंसियों में और उसके विपर्यय (नामित करेंसियों को रुपये) में परिवर्तित करने के लिए दर

i) इन खातों को खोलने के लिए भारतीय रुपये में प्राप्त विप्रेषणों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित विदेशी करेंसी में परिवर्तन की तारीख को उस करेंसी के लिए प्रचलित निर्बंध टी.टी. बिक्री दर पर परिवर्तित किया जाएगा।

ii) रुपये में भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, इन खातों में रखी निधियों को आहरण की तारीख को संबंधित करेंसी के लिए प्राधिकृत व्यापारी की निर्बंध टी.टी. क्रय दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।

7. निधियों का अंतर्देशीय चलन (movement)

इन खातों को खोलने के प्रयोजन एवं इन खातों में रखी शेष राशियों को भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए निधियों का कोई भी अंतर्देशीय चलन अनिवासी जमाकर्ताओं के लिए अंतर्देशीय विनिमय अथवा कमीशन से मुक्त होगा। इन खातों में विदेशी करेन्सी विप्रेषणों को प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी, अनुरोध किए जाने पर, विप्रेषक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्राप्त विदेशी करेन्सी उस अन्य प्राधिकृत व्यापारी को अंतरित कर सकता है जिसके पास खाता खोला जाना हो।

8. ब्याज के भुगतान का तरीका

(i) जमाकर्ता की इच्छानुसार इन खातों में धारित शेषराशियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

(ii) ब्याज को खाताधारक की इच्छानुसार उसके नाम के FCNR(B) खाते अथवा मौजूदा / नये अनिवासी बाह्य (विदेशी) / अनिवासी साधारण खाते में जमा किया जा सकता है।

9. खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण/ओवरड्राफ्ट

(1) एनआरई जमाराशियों की जमानत पर भारत में जमाकर्ता एवं तीसरे पक्ष को ऋणों और ओवरड्राफ्टों तथा भारत के बाहर ऋण देने के लिए लागू शर्तें (अनुसूची 1 देखें) आवश्यक परिवर्तनों सहित एफसीएनआर(बी)) जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

(2) जमाराशियों की रुपये में समतुल्य राशि पर आनुमानिक रूप से मार्जिन संबंधी आवश्यकता को परिकलित किया जाएगा।

10. खाताधारक की निवासी हैसियत में परिवर्तन

जब खाताधारक भारत का निवासी बन जाता है, तब उसकी इच्छानुसार जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक संविदागत ब्याज-दर पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर यथा लागू ब्याज-दर तथा आरक्षित निधि संबंधी आवयश्कताओं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी जमाराशियों को खाताधारक की भारत में वापसी की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा। प्राधिकृत व्यापरियों को चाहिए कि वे उक्त विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के परिपक्व होने पर उन्हें खाताधारक के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खाते में अथवा निवासी विदेशी मुद्रा खाते में (यदि जमाकर्ता निवासी विदेशी करेंसी खाता खोलने के लिए पात्र है) परिवर्तित करें और नयी जमाराशियों (रुपया खाता अथवा निवासी विदेशी मुद्रा खाता) पर ब्याज ऐसी जमाराशियों के लिए यथा लागू संगत दरों पर देय होगा।

11. संयुक्त खाता, शेषराशियों का प्रत्यावर्तन, आदि

(1) संयुक्त खातों, निधियों के प्रत्यावर्तन, अस्थायी विज़िट(दौरे) के दौरान खाता खोलने, मुख्तारनामे के द्वारा परिचालन, खातों में रखी निधियों की जमानत पर ऋणों/ओवरड्राफटों से संबंधित अनिवासी बाह्य(विदेशी) खातों पर यथा लागू शर्तें (अनुसूची 1 देखें) आवश्यक परिवर्तनों सहित विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)(FCNR(B)) खातों पर भी लागू होंगी।

(2) प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की परिपक्वतागत आगम राशि को भारत से बाहर तीसरे पक्ष को विप्रेषित करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते इसके लिए खातेधारक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकरण किया गया हो तथा प्राधिकृत व्यापारी ऐसे लेनदेन की सदाशयता से संतुष्ट हो।

12. रिपोर्टिंग

इन खातों से होने वाले लेनदेनों की रिपोर्टिंग, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशानुसार रिज़र्व बैंक को की जाएगी।

13. अन्य विशेषताएं

ए) रिज़र्व बैंक इन खातों में रखी किसी भी परिपक्वता की जमाराशियों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को विनिमय-दर की गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

बी) इन खातों के जरिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जुटाये गये संसाधनों से दिए गए उधार पर ब्याज-दरों के संबंध में कोई विनिर्देशन नहीं है।

अनुसूची 3
[विनियम 5(1)(iii) देखें]

अनिवासी सामान्य/साधारण रुपया खाता योजना (NRO Account)

1. पात्रता

(ए) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न करते हुए रुपये में वास्तविक लेनदेन करने के प्रयोजनार्थ किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास अनिवासी साधारण रुपया खाता खोल सकता है।

(बी) इन खातों में होने वाले परिचालनों के फलस्वरूप खाताधारक द्वारा भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को रुपये में प्रतिपूर्ति अथवा किसी अन्य तरीके से विदेशी करेन्सी उपलब्ध कराने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

(सी) खाता खोलने के समय खाताधारक को चाहिए कि वह उस प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक को, जिसके पास खाता रखा गया है, इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करे कि भारत में निवेश के प्रयोजनार्थ खाते में डाली गयी नामे राशियों और निवेशों की बिक्री आय से खाते में जमा की गयी राशियों के मामलों में वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निवेश / विनिवेश रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में निर्मित विनियमनों के अनुसार होंगे।

टिप्पणियां :

ए. पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों / स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

बी. बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

सी. बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले किसी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा खाते खोलने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक दे सकता है बशर्ते वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा व्यक्ति वैध वीज़ा और संबन्धित विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRO)/ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी वैध निवास पत्र का धारक है।

डी. भारत स्थित डाक घर भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के नाम बचत बैंक खाते रख सकते हैं और इन खातों में उन्हीं शर्तों के अधीन परिचालनों की अनुमति दे सकते हैं जो प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के पास रखे अनिवासी साधारण खातों (एनआरओ) पर लागू होती हैं।

2. खातों के प्रकार

अनिवासी साधारण रुपया खातों को चालू, बचत, आवर्ती अथवा सावधि जमा खातों के रूप में खोला/रखा जा सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा निवासी खातों के संबंध में जारी निदेशों में उल्लिखित अपेक्षाएं अनिवासी साधारण रुपया खातों पर भी लागू होंगीं।

3. अनुमेय जमा / नामे

(ए) जमा

(i) बैंकिंग चैनल से भारत के बाहर से किसी भी अनुमत करेन्सी में प्राप्त विप्रेषणों अथवा खाताधारक द्वारा भारत में अपने अस्थायी दौरे के दौरान प्रस्तुत किसी भी अनुमत करेन्सी अथवा अनिवासी बैंकों के रुपया खातों से अंतरित राशि।

(ii) खाताधारक की भारत में प्राप्य वैध राशियां।

(iii) अन्य एनआरओ खातों से अंतरण।

(iv) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों के अनुसार खातेधारक द्वारा प्राप्त कोई राशि ।

(बी) नामे

(i) रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये संबन्धित विनियमों के अनुपालन के अधीन निवेशों के लिए भुगतानों सहित, रुपये में सभी स्थानीय भुगतान।

(ii) भारत में खाताधारक की वर्तमान आय में से लागू करों को घटाकर भारत से बाहर निवल राशि का विप्रेषण।

(iii) अन्य एनआरओ खातों में अंतरण।

(iv) भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर प्रभारों का भुगतान, बशर्ते विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 के विनियम 4(2) में विनिर्दिष्ट अनिवासी साधारण(सामान्य) खातेगत जमाराशियों के प्रत्यावर्तन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में हो।

4. अनिवासी साधारण रुपया खाते में रखी निधियों का विप्रेषण

अनिवासी साधारण रुपया खातों में धारित शेष राशियां रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन के बिना भारत से बाहर विप्रेषित करने के लिए पात्र नहीं हैं। विदेशी मुद्रा में विप्रेषणों के जरिए भारत के बाहर से प्राप्त उन निधियों पर ही भारत के बाहर विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा जिनकी विप्रेषणयोग्य निधियों के रूप में पहचान बरकरार हो। जहां भारत के दौरे पर आए किसी विदेशी पर्यटक द्वारा किसी निर्दिष्ट तरीके से भारत के बाहर से विप्रेषित निधियों अथवा उसके द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा की बिक्री कर के (चालू / बचत) खाता खोला जाता है, वहां प्राधिकृत व्यापारी भारत से पर्यटक की वापसी के समय उसके खाते में धारित शेष राशि को खाताधारक को भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा में रूपांतरित कर सकता है बशर्ते उक्त खाते को छह महीने से अनधिक अवधि के लिए रखा गया हो और खाते पर उपचित ब्याज के अतिरिक्त उसमें कोई अन्य स्थानीय निधि जमा न की गयी हो।

5. ऋण/ ओवरड्राफट प्रदान करना

ए. खाताधारकों को

(i) पुनः उधार देने अथवा कृषि/बागवानी के कार्यों के प्रयोजन अथवा स्थावर-संपदा(रियल इस्टेट) के कारोबार में निवेश करने के प्रयोजन को छोड़कर अनिवासी खाताधारक को अन्य वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अथवा कारोबारी गतिविधियों के लिए, निवासी खातों पर सामान्यतः लागू मानदंडों के अधीन, सावधि जमाराशियों की जमानत पर रुपये में ऋण स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी / बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय और ब्याज-दर आदि संबंधी निर्देशों के अनुपालन की शर्त के अधीन खाताधारक को उक्त खाते से ओवरड्राफट की अनुमति दे सकता है।

बी. तीसरे पक्ष को

भारत में निवासी व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों को अनिवासी साधारण रुपया खाते में रखी जमाराशियों की जमानत पर ऋण/ ओवरड्राफट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जा सकते हैं:

(i) ऋणों का उपयोग, कृषि / बागवानी के कार्यों अथवा स्थावर-संपदा के कारोबार के लिए अथवा पुनः उधार देने के प्रयोजन को छोडकर, केवल खाताधारक की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने और/ अथवा कारोबार के लिए किया जाएगा।

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मर्जिन और ब्याज-दर से संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(iii) व्यापार / उद्योग को प्रदत्त अग्रिमों के मामले में यथा लागू सामान्य मानदंड व ध्यान देने योग्य बातें ऐसे ऋणों/ सुविधाओं के लिए भी लागू होंगी।

6. उधारकर्ता की निवासी की हैसियत में परिवर्तन होने पर ऋणों / ओवरड्राफटों का निरूपण/के प्रति बरताव

उस व्यक्ति के मामले में, जिसने भारत में रहते समय ऋण अथवा ओवरड्रफट सुविधाओं का लाभ उठाया था और जो बाद में भारत से बाहर का निवासी बन जाता है, प्राधिकृत व्यापारी अपने विवेक और वणिज्यिक निर्णय के अंतर्गत ऋण/ओवरड्राफट सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ऐसे मामलों में, ब्याज का भुगतान और ऋण की चुकौती आवक विप्रेषण अथवा संबंधित व्यक्ति के भारत में उपलब्ध वैध संसाधनों में से की जा सकती है।

7. संयुक्त खाते

ये खाते प्रथम अथवा उत्तरजीवी के आधार पर निवासियों के साथ संयुक्त रूप में रखे जा सकते हैं।

अनिवासी भारतीय और/अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) अन्य अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) के साथ संयुक्त रूप में एनआरओ खाता रख सकते हैं।

8. मुख्तारनामे द्वारा परिचालन

प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक एनआरओ खाते का परिचालन मुख्तारनामे की शर्तों के तहत करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे परिचालन (i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्मित संबन्धित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के भुगतान सहित रुपये में सभी स्थानीय भुगतान; और (ii) लागू करों को घटाकर, अनिवासी व्यक्ति खाताधारक की भारत में वर्तमान आय को भारत से बाहर विप्रेषण तक सीमित होंगे। निवासी मुख्तारनामा धारक किसी भी परिस्थिति में इस खाते में धारित राशि को स्वयं अनिवासी खाताधारक के सिवाय भारत से बाहर प्रत्यावर्तित अथवा अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के जरिये भुगतान अथवा किसी अन्य एनआरओ खाते में निधियां अंतरित नहीं करेगा।

समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा में और लागू करों के अनुपालन की शर्त के अधीन भारत से बाहर विप्रेषण किए जा सकते हैं।

9. खाताधारक की निवासीय की हैसियत में परिवर्तन

(ए) निवासी से अनिवासी

भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जब अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने का उल्लेख करते हुए किसी भी देश में (नेपाल और भूटान को छोड़कर) नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जाता है, तब उसके वर्तमान खाते को अनिवासी (साधारण) खाते के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

(बी) अनिवासी से निवासी

खाताधारक द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए नौकरी करने अथवा कारोबार करने अथवा व्यवसाय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भारत में वापसी पर अनिवासी (साधारण) खातों को निवासी रुपया खातों के रूप में नामित किया जा सकता है। जब खाताधारक भारत में केवल अस्थायी दौरे पर होता है, तब ऐसे दौरे के दौरान खाते को अनिवासी खाते के रूप में मानते रहना चाहिए।

10. अनिवासी नामिती को निधियों का भुगतान

मृत खाताधारक के खाते में से अनिवासी नामिती को देय राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी / बैंक के पास रखे नामिती के अनिवासी सामान्य रुपया खाते में जमा की जाएगी।

11. लेनदेनों की रिपोर्टिंग

(i) उक्त खाते से किया गया ऐसा लेनदेन, जिसके संबंध में यदि यह प्रतीत हो कि वह प्राधिकृत व्यापारी से इतर भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में की गयी प्रतिपूर्ति है, साथ ही ऐसा लेनदेन जो संदिग्ध स्वरूप का हो, रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ii) इन खातों में किये गये लेनदेनों को रिज़र्व बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक द्वारा बांग्लादेश की राष्ट्रिकता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के खोले गए खातों को प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा और ऐसे प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा संदर्भित व्यक्ति(यों) के नाम, पासपोर्ट नंबर, जारीकर्ता देश/स्टेट, एफ़आरओ/एफ़आरआरओ के नाम, आवासीय अनुमति जारी करने की तारीख और उसकी वैधता अवधि के ब्योरों को अंतर्विष्ट करने वाली तिमाही रिपोर्ट गृह मंत्रालय (विदेश प्रभाग) को तिमाही आधार पर अग्रसारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: "तिमाही आधार" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष मार्च / जून / सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाही से है ।

अनुसूची 4

[विनियम 5(4) देखें]

विशेष अनिवासी रुपया खाता – SNRR Account

1. भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसका भारत में कारोबारी हित है, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास सदाशयी लेनदेन के लिए इस अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन न करते हुए रुपए में विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR Account) खोल सकता है।

2. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए।

3. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते के परिचालन के परिणामस्वरूप खातेधारक द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को रुपये के बदले अथवा किसी अन्य प्रकार से विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं करानी चाहिए।

4. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. खातेधारक द्वारा प्रस्तावित कारोबार के लिए ही विशिष्ट / प्रासंगिक नामे और जमा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से होने चाहिए।

6. प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खातेधारक के परिचालनों के अनुरूप ही खाते में जमा शेष होना चाहिए।

7. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से सभी परिचालन उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

8. खातेधारक की संविदा अवधि / के कारोबारी परिचालन की अवधि के अनुरूप विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते की अवधि होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह सात वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे खाते के खोले जाने से सात वर्षों की अवधि के उपरांत इससे कोई परिचालन करने की अनुमति नहीं है।

9. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में जमा शेष प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगा।

10. अनिवासी साधारण खाते से विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में अंतरण पर रोक है।

11. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए सभी लेनदेन भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन हैं।

12. यदि खाताधारक निवासी बन जाता है तो उसके विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते को निवासी रुपया खाते में नामित किया जाना चाहिए।

13. मृत खाताधारक के खाते में अनिवासी नामिती को देय / भुगतान योग्य राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक के पास नामिती के रखे एनआरओ खाते में जमा की जाएगी ।

14. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए लेनदेन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उसे रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

15. पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रिकों और पाकिस्तान और बांग्लादेश में निगमित कंपनियों (संस्थाओं) द्वारा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

अनुसूची 5
[विनियम 5(5) देखें]

एस्क्रो खाता खोलने के लिए शर्तें

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्क्रो एजेंट के रूप में भारतीय रुपये में एस्क्रो खाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग निम्नलिखित मामलों में खोला जा सकता है।

1. किसी अनिवासी कंपनी (कार्पोरेट) द्वारा खुले प्रस्ताव / गैर-सूचीबद्धता / प्रस्ताव छोडने के जरिए शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों के अर्जन / अंतरण के लिए।

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे इस प्रकार हैं:

i. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के अनुसार।

सी. इस प्रयोजन के लिए ओवरसीज़ अर्जक द्वारा निवासी अधिकार प्राप्त अधिदेशी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के एस्क्रो खाते का परिचालन कर सकता है।

डी. उल्लेखनुसार अपेक्षा पूरी होते ही एस्क्रो खाता बंद कर दिया जाएगा।

2. शेयरों के अर्जन / अंतरण के लिए निवासी और अनिवासी अर्जक द्वारा

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण;

ii. अनिवासी धारक से अंतरण के जरिए शेयरों के अर्जन का प्रस्ताव करने वाले निवासी अर्जक द्वारा बैंकिंग चैनल के जरिए रुपये में प्राप्त प्रतिफल ।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे इस प्रकार हैं:

i. लाभार्थी के बैंक खाते में शेयरों के निर्गम / अंतरण के लिए प्रतिफल का विप्रेषण (भारत में निर्गमकर्ता अथवा भारत अथवा विदेश में शेयरों का अंतरणकर्ता);

ii. जिस प्रयोजन के लिए एस्क्रो खाता खोला गया था ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन के विफल होने / सफल न होने के मामले में निधियों के प्रारम्भिक निवेशक की वापसी के लिए प्रतिफल का विप्रेषण।

सी. एस्क्रो खाते के साथ रखी /संलग्न प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागी के पास एस्क्रो एजेंट के रूप में रखे गए डी मैट खाते से जुड़ सकती हैं।

डी. एस्क्रो खाता जिस प्रयोजन के लिए खोला जाता है उसकी तारीख से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक परिचालनीय रहेगा और उल्लेखानुसार अपेक्षा पूरी होते ही अथवा खाता खुलने की तारीख से 6 माह समाप्त होने में से जो भी पहले हो बंद कर दिया जाएगा। यदि एस्क्रो खाता 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खुला रखना आवश्यक हो तो तत्संबंध में रिज़र्व बैंक की विशिष्ट अनुमति प्राप्त की जाए।

ई. उल्लिखित पैराग्राफ "डी" में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी निवासी क्रेता और किसी अनिवासी बिक्रेता अथवा उसके विपर्यय शेयरों के अंरतरण के मामले में यदि क्रेता और बिक्रेता के बीच सहमति हो तो कुल प्रतिफल राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि तक के लिए क्रेता और बिक्रेता के बीच एक एस्क्रो खाते की व्यवस्था की जा सकती है जिसकी अवधि अंतरण करार से अट्ठारह माह से अधिक नहीं होगी।

3. समय-समय पर यथाशांशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त मात्रा में अर्जन और अधिग्रहण), 1997 [सेबी (SAST) विनियमावली] अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियम के उपबंधों के अंतर्गत अर्जन/अंतरण किया जा सकेगा।

4. एस्क्रो खाता ब्याज रहित खाता होगा ।

5. एस्क्रो खाते में जमा शेष के बदले निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी।

6. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवायसी दिशानिर्देशों के अनुपालन की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7. एस्क्रो खाते में जमा शेष, यदि कोई हो, तत्समय लागू विनिमय दर पर (अर्थात शेयरों का अर्जन करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिमय दर जोखिम वहन किया जाएगा), उल्लिखित अर्जन संबंधी सभी औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

8. यदि किसी मामले में अर्जन / अंतरण फलीभूत न हो, तो प्राधिकृत व्यापारी ऐसे विप्रेषणों की सदाशयता के बारे में संतुष्ट होने पर ऐसे एस्क्रो खाते में जमा पूरी राशि के प्रत्यावर्तन / वापसी की अनुमति दे सकते हैं।

9. प्रत्यक्ष विदेशी (FDI) निवेश की रिपोर्टिंग हेतु निर्गमकर्ता अथवा शेयरों के अंतरक के खाते में निधियों के आने, जैसा भी मामला हो, की तारीख विप्रेषण हेतु संगत तारीख मानी जाएगी।

अनुसूची 6
[विनियम 6(1) देखें]

भारत में निगमित किसी कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) से प्रत्यावर्तन के आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में निगमित कोई कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) अनिवासी भारतीयों (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) से प्रत्यावर्तन के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैः

i) जमाराशियां सार्वजनिक (पब्लिक) जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं।

ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो वह रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होनी चाहिए और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।

iii) इस प्रकार की जमाराशियां बैंकिंग चैनल के जरिये भारत के बाहर से आवक विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक में एनआरई अथवा एफ़सीएनआर (बी) खाते में नामे डालकर प्राप्त की गयी हों।

iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करने वाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो, तो इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / निदेशों के अनुरूप होगी। अन्य मामलों में, जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 2014 के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी।

v) जमाराशियों की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

vi) जमाराशियां स्वीकार करने वाली कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों, आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेगी।

vii) कंपनी द्वारा स्वीकार की गयी कुल जमाराशियां उसकी स्वाधिकृत निधियों के 35% से अधिक नहीं होंगी।

viii) कंपनी द्वारा करों को घटाकर ब्याज का भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जमाकर्ता को विप्रेषण के जरिए या जमाकर्ता के विकल्प पर एनआरई / एफ़सीएनआर(बी) / एनआरओ/ खाते में अपेक्षानुसार जमा करके कर सकती है।

ix) इस प्रकार वसूली गयी जमाराशियों का उपयोग कोई भी कंपनी (गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों या स्थावर संपदा (रियल इस्टेट) कारोबार के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करने वाली या ऐसे कार्य करने का प्रस्ताव करने वाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी।

x) कंपनी जमाकर्ताओं को जमाराशियों की चुकौती किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से भारत से विप्रेषण द्वारा अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास जमाकर्ता के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में जमा करके कर सकती है, बशर्ते जमाकर्ता चुकौती के समय तक अनिवासी बना रहे। जमाराशियों की परिपक्वता पर देय राशि के विप्रेषण या उसे एनआरई / एफसीएनआर(बी) खाते में जमा करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत व्यापारी को आवेदन करते समय कंपनी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह जमाराशि भारत के बाहर से बैंकिंग चैनल के जरिये अथवा जमाकर्ता के एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में नामे कर के, जैसा भी मामला हो, प्राप्त हुई थी।

xi) जमाकर्ता के विकल्प पर चुकौती राशि को जमाकर्ता के एनआरओ खाते में भी जमा किया जा सकता है।

अनुसूची 7
[विनियम 6(2) देखें]

भारतीय स्वामित्वधारी संस्था / फर्म अथवा कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित) द्वारा अनिवासी भारतीय (NRI) अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति(PIOs) से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर जमाराशियां स्वीकार करना

भारत में स्वामित्वधारी कोई संस्था या फर्म और भारत में निगमित कोई कंपनी (रिज़र्व बैंक में पंजीकृत किसी गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी सहित) अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों(PIOs) से अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं:

i) किसी कंपनी के मामले में, ये जमाराशियां निजी व्यवस्था या सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती हैं।

ii) यदि जमाराशियां स्वीकार करनेवाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो वह रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो और उसे इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्धारित अपेक्षित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो।

iii) जमाराशियों की परिवक्कतावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

iv) यदि जमाराशियां प्राप्त करने वाली कंपनी कोई गैर-बैंकिंग कंपनी हो, तो इन जमाराशियों पर देय ब्याज की दर ऐसी कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुरूप होगी। अन्य मामलों में जमाराशियों पर देय ब्याज दर कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियमावली, 2014 के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित उच्चतम ब्याज सीमा से अधिक नहीं होगी।

v) जमाराशियां केवल एनआरओ खाते को नामे कर के प्राप्त की जाएगी, बशर्ते कि जमाराशियाँ आवक विप्रेषण अथवा एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते से एनआरओ खाते में अंतरण के स्वरूप की न हो।

vi) जमाराशियां स्वीकार करने वाली स्वामित्वधारी संस्था/फर्म/कंपनी भारत सरकार या किसी अन्य सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधि, नियमों, विनियमों या आदेशों के प्रावधानों, जो जमाराशियां स्वीकार करने के संबंध में उस पर लागू हों, का पालन करेंगी।

vii) इस प्रकार वसूली गयी जमाराशियों का उपयोग कोई भी कंपनी (गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं) पुनः उधार देने के लिए अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों या स्थावर संपदा कारोबार के लिए अथवा इस प्रकार का कार्य करने वाली या ऐसे कार्य करने का प्रस्ताव करने वाली किसी अन्य संस्था, फर्म या कंपनी में निवेश के लिए नहीं करेगी।

viii) स्वीकार की गयी जमाराशियों के लिए भारत से बाहर प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं होगी।

[फा. सं. 1/31/ई एम/2015]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2016

No. FEMA 5(R)/2016-RB

Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 6, sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank makes the following regulations relating to deposits between a person resident in India and a person resident outside India, namely:—

1. Short title and commencement:-

i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette except sub-regulation (2) of Regulation 7. Sub-regulation (2) of Regulation 7 is deemed to have come into force with effect from 21st January, 2016.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

ii) 'Authorised bank' means a bank including a co-operative bank (other than an authorised dealer) authorised by the Reserve Bank to maintain an account of a person resident outside India;

iii) 'Authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under subsection (1) of section 10 of the Act;

iv) 'Deposit' includes deposit of money with a bank, company, proprietary concern, partnership firm, corporate body, trust or any other person;

v) 'FCNR (B) account' means a Foreign Currency Non-Resident (Bank) account referred to in clause (ii) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

vi) 'Non-Resident Indian (NRI)' means a person resident outside India who is a citizen of India.

vii) 'NRE account' means a Non-Resident External account referred to in clause (i) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

viii) 'NRO account' means a Non-Resident Ordinary account referred to in clause (iii) of sub-regulation (1) of Regulation 5;

ix) ‘Permissible currency’ means a foreign currency which is freely convertible;

x) ‘Person of Indian Origin (PIO)’ means a person resident outside India who is a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan or such other country as may be specified by the Central Government, satisfying the following conditions:

a) Who was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955); or

b) Who belonged to a territory that became part of India after the 15th day of August, 1947; or

c) Who is a child or a grandchild or a great grandchild of a citizen of India or of a person referred to in clause (a) or (b); or

d) Who is a spouse of foreign origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of a person referred to in clause (a) or (b) or (c)

Explanation: for the purpose of this sub-regulation, the expression ‘Person of Indian Origin’ includes an ‘Overseas Citizen of India’ cardholder within the meaning of Section 7(A) of the Citizenship Act, 1955.

xi) 'Schedule' means schedule to these Regulations;

xii) 'SNRR account' means a Special Non-Resident Rupee account referred to in sub-regulation (4) of Regulation 5;

xiii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restrictions on deposits between a person resident in India and a person resident outside India:-

Save as otherwise provided in the Act or Regulations or in rules, directions and orders made or issued under the Act, no person resident in India shall accept any deposit from, or make any deposit with, a person resident outside India:

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and on being satisfied that it is necessary so to do, allow a person resident in India to accept or make deposit from or with a person resident outside India.

4. Exemptions:-

Nothing contained in these Regulations shall apply to the following:

1) Deposits held in rupee accounts maintained by foreign diplomatic missions and diplomatic personnel and their family members in India with an authorised dealer.

2) Deposits held by diplomatic missions and diplomatic personnel in special rupee accounts namely Diplomatic Bond Stores Account to facilitate purchases of bonded stocks from firms and companies who have been granted special facilities by customs authorities for import of stores into bond, subject to following conditions:

a) Credits to the account shall be only by way of proceeds of inward remittances received from outside India through banking channels or by a transfer from a foreign currency account in India of the account holder maintained with an authorised dealer in accordance with clause 3 of this Regulation ;

b) All cheque leaves issued to the account holder shall be superscribed as “Diplomatic Bond Stores Account No.”;

c) Debits to the accounts shall be for local disbursements, or for payments for purchases of bonded stocks to firms and companies who have been granted special facilities by customs authorities for import of stores into bond;

d) The funds in the account may be repatriated outside India without the approval of Reserve Bank.

3) Deposits held in accounts maintained in foreign currency by diplomatic missions, diplomatic personnel and non-diplomatic staff, who are the nationals of the concerned foreign countries and hold official passport of foreign embassies in India subject to the following conditions:

a) Credits to the account shall be only by way of:-

(i) proceeds of inward remittances received from outside India through banking channels; and

(ii) transfer of funds, from the rupee account of the diplomatic mission in India, which are collected in India as visa fees and credited to such account;

b) Funds held in such account if converted in rupees shall not be converted back into foreign currency;

c) The account may be held in the form of current or term deposit account, and in the case of diplomatic personnel and non-diplomatic staff, may also be held in the form of savings account;

d) The rate of interest on savings or term deposits shall be such as may be determined by the authorised dealer maintaining the account;

e) The funds in the account may be repatriated outside India without the approval of Reserve Bank.

4) Deposits held in accounts maintained in rupees with an authorised dealer by persons resident in Nepal and Bhutan.

5) Deposits held in accounts maintained with an authorised dealer by any multilateral organization and its subsidiary/ affiliate bodies and officials in India of such multilateral organisations, of which India is a member nation.

5. Acceptance of deposits by an authorised dealer/ authorised bank from persons resident outside India:-

1) An authorised dealer in India may accept deposit

i) under the Non-Resident (External) Account Scheme (NRE account), specified in Schedule 1, from a non-resident Indian;

ii) under the Foreign Currency (Non-Resident) Account Banks Scheme, (FCNR(B) account), specified in Schedule 2, from a non-resident Indian;

iii) under the Non-Resident (Ordinary) Account Scheme, (NRO account), specified in Schedule 3, from any person resident outside India;

2) Without prejudice to sub-regulation (1), deposits under NRE and NRO Account Schemes referred to in clauses (i) and (iii) of that sub-regulation, may also be accepted by an authorised bank, in accordance with the provisions contained in the respective Schedules, subject to the conditions prescribed by Reserve Bank in this regard.

3) Without prejudice to sub-regulation (1), deposits under FCNR(B) Account Schemes referred to in clause (ii) of that sub-regulation, may also be accepted by a Regional Rural Bank, in accordance with the provisions contained in the Schedule, subject to the conditions prescribed by Reserve Bank in this regard.

4) Any person resident outside India having a business interest in India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India, a Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account), specified in Schedule 4.

5) Resident or non-resident acquirers may, subject to the terms and conditions specified in Schedule 5, open, hold and maintain Escrow Account with Authorised Dealers in India

6. Acceptance of deposits by persons other than authorised dealer/ authorised bank:-

1) A company registered under Companies Act, 2013 or a body corporate created under an Act of Parliament or State Legislature shall not accept deposits on repatriation basis from a non-resident Indian or a person of Indian origin. The company may, however, renew the deposits which had been accepted on repatriation basis from an NRI or a PIO subject to terms and conditions mentioned in Schedule 6.

2) A company registered under Companies Act, 2013 or a body corporate, a proprietary concern or a firm in India may accept deposits from a non-resident Indian or a person of Indian origin on non-repatriation basis, subject to the terms and conditions mentioned in Schedule 7.

3) An Indian company may accept deposits by issue of Commercial Paper to a non-resident Indian or a person of Indian origin or a foreign portfolio investor registered with the Securities and Exchange Board of India subject to the following conditions, namely:

a) the issue is in due compliance with the Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989 issued by the Reserve Bank as also any other law, rule, directions, orders issued by the Government or any other regulatory authority, in regard to acceptance of deposits by issue of Commercial Paper;

b) payment for issue of Commercial Paper is received by the issuing company by inward remittance from outside India through banking channels or out of funds held in a deposit account maintained by a Non-Resident Indian or a Person of Indian Origin in accordance with the Regulations made by Reserve Bank in that regard;

c) the amount invested in Commercial Paper shall not be eligible for repatriation outside India; and

d) the Commercial Paper shall not be transferable.

7. Other deposits made or held by authorised dealer:-

1) A deposit made by an authorised dealer with its branch, head office or correspondent outside India, and a deposit made by a branch or correspondent outside India of an authorised dealer, and held in its books in India, shall be governed by the directions issued by the Reserve Bank in this regard from time to time.

2) A shipping or airline company incorporated outside India, may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with an authorized dealer for meeting the local expenses in India of such airline or shipping company:

Provided that the credits to such accounts are only by way of freight or passage fare collections in India or by inward remittances through banking channels from its office outside India.

3) An authorised dealer in India, may subject to the directions issued by the Reserve Bank, allow unincorporated joint ventures (UJV) of foreign companies/ entities, with Indian entities, executing a contract in India, to open and maintain non-interest bearing foreign currency account and a SNRR account as specified in schedule 4 for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of its business. The debits and credits in these accounts shall be incidental to the business requirement of the UJV.

Provided that the tenure of the account is concurrent to the tenure of the contract/ period of operation of the UJV.

Provided further that all operations in the account shall be in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations made or the directions issued thereunder.

Note: Opening of accounts by companies/ entities of Pakistan/ Bangladesh ownership/ nationality would require the prior approval of the Reserve Bank

4) An authorised dealer in India, with the prior approval of Reserve Bank, may open an account expressed in foreign currency in the name of a person resident outside India for the purpose of adjustment of value of goods imported into India against the value of goods exported from India in terms of an arrangement voluntarily entered into by such person with a person resident in India.

8. Nomination:-

Authorised dealers may provide nomination facility in respect of the deposits/ accounts in these regulations maintained by individual account holders.

SCHEDULE 1

[See Regulation 5(1) (i)]

Non-Resident (External) Rupee Account Scheme – NRE Account

1. Eligibility:

Non-resident Indians (NRIs) and Person of Indian Origin (PIOs) are permitted to open and maintain these accounts with authorised dealers and with banks (including cooperative banks) authorised by the Reserve Bank to maintain such accounts.

The account should be opened by the non-resident account holder himself and not by the holder of the power of attorney in India.

2. Types of accounts:

The accounts may be maintained in any form, e.g. savings, current, recurring or fixed deposit account etc.

3. Permitted Credits:

a) Proceeds of remittances to India in any permitted currency.

b) Proceeds of personal cheques drawn by the account holder on his foreign currency account and of travellers cheques, bank drafts payable in any permitted currency including instruments expressed in Indian rupees for which reimbursement will be received in foreign currency, deposited by the account holder in person during his temporary visit to India, provided the authorised dealer/ bank is satisfied that the account holder is still resident outside India, the travellers' cheques/ drafts are standing/ endorsed in the name of the account holder and in the case of travellers' cheques, they were issued outside India.

c) Proceeds of foreign currency/ bank notes tendered by account holder during his temporary visit to India, provided (i) the amount was declared on a Currency Declaration Form (CDF), where applicable, and (ii) the notes are tendered to

the authorised dealer in person by the account holder himself and the authorised dealer is satisfied that account holder is a person resident outside India.

d) Transfers from other NRE/ FCNR (B) accounts.

e) Interest accruing on the funds held in the account.

f) Current income in India due to the account holder, subject to payment of applicable taxes in India

g) Maturity or sale proceeds of any permissible investment in India which was originally made by debit to the account holder's NRE/ FCNR (B) account or out of remittances received from outside India through banking channels.

Provided that the investment was made in accordance with the foreign exchange regulations in force at the time of making such investment.

h) Refund of share/ debenture subscriptions to new issues of Indian companies or portion thereof, if the amount of subscription was paid from the same account or from other NRE/ FCNR (B) account of the account holder or by remittance from outside India through banking channels.

i) Refund of application/ earnest money/ purchase consideration made by the house building agencies/ seller on account of non-allotment of flat/ plot/ cancellation of bookings / deals for purchase of residential/ commercial property, together with interest, if any (net of income tax payable thereon), provided the original payment was made out of NRE/ FCNR(B) account of the account holder or remittance from outside India through banking channels and the authorised dealer is satisfied about the genuineness of the transaction.

j) Any other credit if covered under general or special permission granted by Reserve Bank.

4. Permitted Debits:

a) Local disbursements.

b) Remittances outside India.

c) Transfer to NRE/ FCNR (B) accounts of the account holder or any other person eligible to maintain such account.

d) Investment in shares/ securities/ commercial paper of an Indian company or for purchase of immovable property in India provided such investment/ purchase is covered by the regulations made, or the general/ special permission granted by the Reserve Bank.

e) Any other transaction if covered under general or special permission granted by the Reserve Bank.

5. Rate of Interest:

Rate of interest applicable to these accounts shall be in accordance with the directions/ instructions issued by Reserve Bank from time to time

6. Loans against security of funds held in the account:

(1) To account holder: Authorised dealers and authorised banks maintaining such accounts are permitted to grant loans in India to the account holder subject to the following conditions:

(a) The loan shall be used for:

i) personal purposes or for carrying on business activities except for the purpose of relending or carrying on agricultural/ plantation activities or for investment in real estate business.

ii) making direct investment in India on non-repatriation basis by way of contribution to the capital of Indian firms/ companies subject to the provisions of the relevant Regulations made under the Act

iii) acquiring flat/ house in India for his own residential use subject to the provisions of the relevant Regulations made under the Act

(b) Repayment shall be made either by adjustment of the deposit or by fresh inward remittances from outside India through banking channels or out of local rupee resources in the NRO account of the borrower.

(2) To third parties: Authorised dealers and authorised banks may grant loans to resident individuals/ firms/ companies in India against the collateral of fixed deposits held in NRE account subject to the following conditions:

i) The loan should be utilised for personal purposes or for carrying on business activities except for the purpose of relending or carrying on agricultural/ plantation activities or for investment in real estate business.

ii) There should be no direct or indirect foreign exchange consideration for the non-resident depositor agreeing to pledge his deposits to enable the resident individual/ firm/ company to obtain such facilities.

iii) The usual norms and considerations as applicable in the case of advances to trade/ industry shall be applicable to such credit facilities.

(3) Loans outside India - Authorised dealers may allow their branches/ correspondents outside India to grant loans to or in favour of non-resident depositor or to third parties at the request of depositor for bona fide purpose except for the purpose of relending or carrying on agricultural/ plantation activities or for investment in real estate business, against the security of funds held in the NRE accounts in India and also agree for remittance of the funds from India, if necessary, for liquidation of the outstanding.

(4) The authorised dealer/ bank should ensure that the advances are fully secured by the fixed deposits and regulations relating to normal margin, interest rate, etc. are complied with.

(5) The loans granted under this paragraph shall be subject to such directions as may be issued by the Reserve Bank from time to time.

(6) The term "loan" shall include all types of fund based/ non-fund based facilities.

7. Change of residential status of the account holder:

NRE accounts should be re-designated as resident accounts or the funds held in these accounts may be transferred to the RFC accounts (if the account holder is eligible for maintaining RFC account) at the option of the account holder immediately upon the return of the account holder to India for taking up employment or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating intention to stay in India for an uncertain period. Where the account holder is only on a short visit to India, the account may continue to be treated as NRE account even during his stay in India.

8. Repatriation of funds to non-resident nominee:

Authorised dealers/ authorised banks may allow remittance of funds lying in the NRE account of the deceased account holder to his non-resident nominee.

9. Miscellaneous:

(a) Joint accounts – Joint accounts may be permitted to be opened in the following cases:

i) In the names of two or more NRIs and/or PIOs

ii) With resident relative(s) on 'former or survivor' basis. However, the said resident relative shall be eligible to operate the account as a Power of Attorney holder in accordance with the extant instructions during the life time of the account holder.

Explanation – For the purpose of this regulation, 'relative' means relative as defined in section 2(77) of the Companies Act, 2013.

b) Opening of account during temporary visit: An account may be opened in the name of an eligible NRI or PIO during his temporary visit to India against tender of foreign currency travellers cheques or foreign currency notes and coins tendered, provided the authorised dealer is satisfied that the person has not ceased to be a non-resident.

c) Operations by Power of Attorney: Authorised dealers/ authorised banks may allow operations on an NRE account in terms of Power of Attorney or other authority granted in favour of a resident by the non-resident account holder, provided such operations are restricted to withdrawals for local payments or remittance to the account holder himself through banking channels. In cases where the account holder or a bank designated by him is eligible to make investments in India, the Power of Attorney holder may be permitted by the authorised dealers/ banks to operate the account to facilitate such investment. The resident Power of Attorney holder shall not, however, be allowed to repatriate outside India funds held in the account under any circumstances other than to the account holder himself, nor to make payment by way of gift to a resident on behalf of the account holder nor to transfer funds from the account to another NRE account.

d) Special Series of Cheques: For easy identification and quicker processing of cheques drawn on NRE accounts, authorised dealers/ banks shall issue cheque books containing a special series of cheques to their constituents holding NRE accounts.

e) Temporary overdrawings: Authorised dealers/ authorised banks may at their discretion/ commercial judgement allow for a period of not more than two weeks, overdrawings in NRE savings bank accounts, up to a limit of Rs.50,000 subject to the condition that such overdrawings together with the interest payable thereon are cleared/ repaid within the said period of two weeks, out of inward remittances through banking channels or by transfer of funds from other NRE/ FCNR(B) accounts.

f) Remittances abroad by Resident nominee: Application from a resident nominee for remittance of funds outside India for meeting the liabilities, if any, of the deceased account holder or for similar other purposes, should be forwarded to the Reserve Bank for consideration.

g) Tax Exemption: Income from interest on balances standing to the credit of NRE Accounts is exempt from Income Tax. Likewise balances held in such accounts are exempt from wealth tax.

h) Reporting: The transactions in these accounts shall be reported to the Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

SCHEDULE 2

[See Regulation 5(1) (ii)]

FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNT (BANKS) SCHEME – FCNR (B) Account

1. Eligibility:

(a) NRIs and PIOs are eligible to open and maintain these accounts with an authorised dealer.

(b) These accounts may be opened with funds remitted from outside India through banking channels or funds received in rupees by debit to the account of a non-resident bank maintained with an authorised dealer in India or funds which are of repatriable nature in terms of the regulations made by Reserve Bank. Accounts may also be opened by transfer of funds from existing NRE/ FCNR (B) accounts.

(c) Remittances from outside India for opening of or crediting to these accounts should be made in the designated currency in which the account is desired to be opened/ maintained.

Without prejudice to this, if the remittance is received in a currency other than the designated currency (including funds received in rupees by debit to the account of a non-resident bank), it should be converted into the latter currency by the authorised dealer at the risk and cost of the remitter and account should be opened/ credited in only the designated currency.

(d) In case the depositor with any currency other than designated currency desires to place a deposit in these accounts, authorised dealers may undertake with the depositor a fully covered swap in that currency against the desired designated currency. Such a swap may also be done between two designated currencies.

2. Designated Currencies: Deposit of funds in the account may be accepted in such permissible currencies as may be designated by the Reserve Bank from time to time.

3. Type of account:

These accounts may be opened only in the form of term deposit with maturity of such period as may be specified by the Reserve Bank from time to time.

4. Rate of Interest:

The rate of interest on funds held in these deposit accounts will be in accordance with the directives issued by the Reserve Bank from time to time.

5. Permissible Debits/ Credits:

All debits/ credits permissible in respect of NRE accounts as specified in Schedule 1 shall be permissible in respect of these accounts also.

6. Rate for Conversion of Rupees into Designated Currencies and vice versa:

i) Remittances received in Indian rupees for opening these accounts shall be converted by the authorised dealer into the designated foreign currency at the clean T.T. selling rate for that currency ruling on the date of conversion.

ii) For the purpose of payment in rupees, funds held in these accounts shall be converted into rupees at the authorised dealer's clean T.T. buying rate for the concerned currency ruling on the date of withdrawal.

7. Inland Movement of Funds:

Any inland movement of funds for the purpose of opening these accounts as well as for repatriation outside India of balances held in these accounts will be free of inland exchange or commission for the non-resident depositors. The Authorised dealer receiving foreign currency remittances in these accounts will also, on request, pass on the foreign currency to another authorised dealer if the account has to be opened with the latter, at no extra cost to the remitter.

8. Manner of Payment of Interest:

(i) Interest on balances held in these accounts may be paid half-yearly or on an annual basis as desired by the depositor.

(ii) Interest may be credited to a new FCNR (B) account or an existing/ new NRE/ NRO account in the name of the account holder, at his option.

9. Loans/ overdrafts against security of funds held in the account:

(1) The terms and conditions as applicable to NRE deposits (cf. Schedule 1) in respect of loans and overdrafts in India to depositor and to third parties as also loans outside India against security of deposits, shall apply mutatis mutandis to FCNR(B) deposits.

(2) The margin requirement shall be notionally calculated on the rupee equivalent of the deposits.

10. Change of residential status of the account holder:

When an account holder becomes a person resident in India, deposits may be allowed to continue till maturity at the contracted rate of interest, if so desired by him. However, except the provisions relating to rate of interest and reserve requirements as applicable to FCNR (B) deposits, for all other purposes such deposits shall be treated as resident deposits from the date of return of the accountholder to India. Authorised dealers should convert the FCNR(B) deposits on maturity into resident rupee deposit accounts or RFC account (if the depositor is eligible to open RFC account), at the option of the accountholder and interest on the new deposit (rupee account or RFC account) shall be payable at the relevant rates applicable for such deposits.

11. Joint account, repatriation of balances, etc.:

(1) Terms and conditions as applicable to NRE accounts (cf. Schedule 1) in respect of joint accounts, repatriation of funds, opening account during temporary visit, operation by power of attorney, loans/ overdrafts against security of funds held in accounts, shall apply mutatis mutandis to FCNR (B) accounts.

(2) Authorised dealer may permit remittance of the maturity proceeds of FCNR (B) deposits to third parties outside India, provided the transaction is specifically authorised by the account holder and the authorised dealer is satisfied about the bona fides of the transaction.

12. Reporting:

The transactions in these accounts shall be reported to Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

13. Other features:

(a) Reserve Bank will not provide exchange rate guarantee to authorised dealers for deposits of any maturity in these accounts.

(b) Lending of resources mobilised by authorised dealers under these accounts are not subject to any interest rate stipulations.

SCHEDULE 3

[See Regulation 5(1) (iii)]

NON-RESIDENT ORDINARY RUPEE ACCOUNT SCHEME – NRO Account

1. Eligibility

(a) Any person resident outside India may open NRO account with an authorised dealer or an authorised bank for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees not involving any violation of the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.

(b) The operations on the accounts should not result in the account holder making available foreign exchange to any person resident in India against reimbursement in rupees or in any other manner.

(c) At the time of opening of the account, the account holder should furnish an undertaking to the authorised dealer/ authorised bank with whom the account is maintained that in cases of debits to the account for the purpose of investment in India and credits representing sale proceeds of investments, he will ensure that such investments/ disinvestments will be in accordance with the regulations made by Reserve Bank in this regard.

NOTES:

A. Opening of accounts by individuals/ entities of Pakistan nationality/ ownership requires approval of Reserve Bank.

B. Opening of accounts by entities of Bangladesh ownership requires approval of Reserve Bank.

C. Opening of accounts by individual/s of Bangladesh nationality may be allowed by authorised dealer or authorised bank, subject to satisfying itself that the individual/s hold a valid visa and valid residential permit issued by Foreigner Registration Office (FRO)/ Foreigner Regional Registration Office (FRRO) concerned;

D. Post Offices in India may maintain savings bank accounts in the names of persons resident outside India and allow operations on these accounts subject to the same terms and conditions as are applicable to NRO accounts maintained with an authorised dealer/ authorised bank.

2. Types of Accounts

NRO accounts may be opened/ maintained in the form of current, savings, recurring or fixed deposit accounts. The requirements laid down in the directives issued by Reserve Bank in regard to resident accounts shall apply to NRO accounts.

3. Permissible Credits/ Debits

(A) Credits

(i) Proceeds of remittances received in any permitted currency from outside India through banking channels or any permitted currency tendered by the account-holder during his temporary visit to India or transfers from rupee accounts of non-resident banks.

(ii) Legitimate dues in India of the account holder.

(iii) Transfers from other NRO accounts.

(iv) Any amount received by the account holder in accordance with the rules or regulations made under the Act.

(B) Debits

(i) All local payments in rupees including payments for investments subject to compliance with the relevant regulations made by the Reserve Bank.

(ii) Remittance outside India of current income in India of the account holder net of applicable taxes.

(iii) Transfers to other NRO accounts.

(iv) Settlement of charges on International Credit Cards issued by authorised dealer banks in India to NRIs or PIOs, subject to the limits for repatriation of balances held in NRO accounts specified in regulation 4(2) of Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016.

4. Remittance of funds held in NRO accounts

Balances in NRO accounts are not eligible for remittance outside India without the general or specific approval of Reserve Bank. Funds received by way of remittances from outside India in foreign exchange which have not lost their identity as remittable funds will only be considered by Reserve Bank for remittance outside India. Where an account (current/ savings) is opened by a foreign tourist visiting India, with funds remitted from outside India in a specified manner or by sale of foreign exchange brought by him to India, authorised dealers may convert the balance in the account at the time of departure of the tourist from India to foreign currency for payment to the account holder provided the account has been maintained for a period not exceeding six months and the account has not been credited with any local funds, other than interest accrued thereon.

5. Grant of Loans/ Overdrafts

A. To Account holders

(i) Loans to non-resident account holders may be granted in rupees against the security of fixed deposits subject to usual norms as are applicable to resident accounts, for personal purposes or for carrying on business activities except for the purpose of relending or carrying on agricultural/ plantation activity or for investment in real estate business.

(ii) Authorised dealer/ bank may permit overdraft in the account of the account holder subject to its commercial judgement and compliance with the interest rate etc. directives.

B. To Third parties

Loans/ overdrafts to resident individuals/ firms/ companies in India may be granted against the security of deposits held in NRO accounts, subject to the following terms and conditions.

(i) The loans shall be utilised only for meeting borrower's personal requirements and/ or business purpose and not for carrying on agricultural/ plantation activities or real estate business, or for relending.

(ii) Regulations relating to margin and rate of interest as stipulated by Reserve Bank from time to time shall be complied with.

(iii) The usual norms and considerations as applicable in the case of advances to trade/ industry shall be applicable for such loans/ facilities.

6. Treatment of Loans/ Overdrafts in the event of change in the resident status of the borrower

In case of person who had availed of loan or overdraft facilities while resident in India and who subsequently becomes a person resident outside India, the authorised dealer may at their discretion and commercial judgement allow

continuance of the loan/ overdraft facilities. In such cases, payment of interest and repayment of loan may be made by inward remittance or out of legitimate resources in India of the person concerned.

7. Joint Accounts

The accounts may be held jointly with residents on 'former or survivor' basis.

NRIs and/or PIOs may hold NRO account jointly with other NRIs and/or PIOs.

8. Operations by Power of Attorney

Authorised dealers/ authorized banks may allow operations on an NRO account in terms of a Power of Attorney, provided such operations are restricted to (i) all local payments in rupees including payments for eligible investments subject to compliance with relevant regulations made by the Reserve Bank; and (ii) remittance outside India of current income in India of the non-resident individual account holder, net of applicable taxes. The resident Power of Attorney holder shall not repatriate outside India funds held in the account under any circumstances other than to the non-resident individual account holder himself nor shall make payment by way of gift to a resident on behalf of the non-resident account holder nor transfer funds from the account to another NRO account.

Any remittance outside India shall be within the ceiling as may be prescribed by the Bank from time to time and subject to tax compliance.

9. Change of Resident Status of Account holder

(a) From Resident to Non-resident

When a person resident in India leaves India for a country (other than Nepal or Bhutan) for taking up employment, or for carrying on business or vocation outside India or for any other purpose indicating his intention to stay outside India for an uncertain period, his existing account should be designated as a Non-Resident (Ordinary) account.

(b) From Non-resident to Resident

NRO accounts may be designated as resident rupee accounts on the return of the account holder to India for taking up employment, or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating his intention to stay in India for an uncertain period. Where the account holder is only on a temporary visit to India, the account should continue to be treated as non-resident during such visit.

10. Payment of funds to Non-resident Nominee

The amount due/ payable to non-resident nominee from the account of a deceased account holder, shall be credited to NRO account of the nominee with an authorised dealer/ authorised bank in India.

11. Reporting of transactions

(i) The transaction in the account which may appear to represent reimbursement in rupees against foreign exchange made available to a person resident in India other than authorised dealer, as well as any other transaction of suspicious nature, should be reported to Reserve Bank.

(ii) The transactions in these accounts shall be reported to the Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.

(iii) The accounts opened by an authorised dealer or an authorised bank in respect of individual/s of Bangladesh nationality shall be reported by the authorised dealer/ authorised bank branch to its Head Office and the Head Office of such authorised dealer/ authorised bank shall forward a quarterly report containing details of Name of the Individual(s), Passport Number, Issuing Country/State, Name of the FRO/ FRRO, Date of issue of Residential Permit and validity thereof, to the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) on Quarterly basis".

Explanation: 'Quarterly basis' means, quarter as at end of March/ June/ September and December of every year.

SCHEDULE 4

[See Regulation 5(4)]

Special Non-Resident Rupee Account - SNRR account

1. Any person resident outside India, having a business interest in India, may open Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account) with an authorised dealer for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees, not involving any violation of the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.
2. The SNRR account should carry the nomenclature of the specific business for which it is in operation.
3. The operations in the SNRR account should not result in the account holder making available foreign exchange to any person resident in India against reimbursement in rupees or in any other manner.

4. The SNRR account shall not bear any interest.
5. The debits and credits in the SNRR account should be specific/ incidental to the business proposed to be done by the account holder.
6. Authorised dealers should ensure that the balances are commensurate with the business operations of the account holder.
7. All the operations in the SNRR account should be in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.
8. The tenure of the SNRR account should be concurrent to the tenure of the contract/ period of operation/ the business of the account holder and in no case should exceed seven years. No operations are permissible in the account after seven years from the date of opening of the account.
9. The balances in the SNRR account shall be eligible for repatriation.
10. Transfers from any NRO account to the SNRR account are prohibited.
11. All transactions in the SNRR account will be subject to payment of applicable taxes in India.
12. SNRR account may be designated as resident rupee account on the account holder becoming a resident.
13. The amount due/ payable to non-resident nominee from the account of a deceased account holder, shall be credited to NRO account of the nominee with an authorised dealer/ authorised bank in India.
14. The transactions in the SNRR accounts shall be reported to the Reserve Bank in accordance with the directions issued by it from time to time.
15. Opening of SNRR accounts by Pakistan and Bangladesh nationals and entities incorporated in Pakistan and Bangladesh requires prior approval of Reserve Bank.

SCHEDULE 5

(See Regulation 5(5))

Terms and conditions for opening of Escrow Account

An Escrow account in INR can be opened jointly and severally with an Authorised Dealer in India as an Escrow Agent in the following cases subject to the terms and conditions specified in this schedule.

1. By non-resident corporates for acquisition/ transfer of shares/ convertible debentures through open offers/ delisting/ exit offers.
   a. Permitted Credits in the Escrow account are:
      i. Foreign Inward remittance through banking channels
   b. Permitted debits in the Escrow account are:
      i. As per SEBI (SAST) Regulations or any other regulations issued by the Security Exchange Board of India (SEBI).
   c. The resident mandatee empowered by the overseas acquirer for this purpose, may operate the Escrow account in accordance with SEBI (SAST) Regulations or any other regulations issued by the SEBI.
   d. The Escrow account shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above.
2. By resident and non-resident acquirers for acquisition/ transfer of shares
   a. Permitted Credits in the Escrow account are:
      i. Foreign Inward remittance through banking channels;
      ii. Receipt of rupee consideration through banking channels by the resident acquirer of shares who proposes to acquire from non-resident holders by way of transfer.
   b. Permitted debits in the Escrow account are:
      i. Remittance of consideration for issue/ transfer of shares directly into the bank account of the beneficiary (issuer in India or transferor of shares in India or abroad);

ii. Remittance of consideration for refund to the initial remitter of funds in case of failure/ non-materialisation of FDI transaction for which the Escrow account was opened.

c. The securities kept/ linked with the Escrow account may be linked with demat account maintained with SEBI authorised Depositary Participants as Escrow agents.

d. The Escrow account shall remain operational for a maximum period of six months only and the account shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above or on completion of six months from the date of opening of such account, whichever is earlier. In case the Escrow account is required to be maintained beyond six months, specific permission from the Reserve Bank has to be sought.

e. Notwithstanding what has been stated in paragraph d. above, in case of transfer of shares between a resident buyer and a non-resident seller or vice-versa, if so agreed between the buyer and the seller, an escrow arrangement may be made between the buyer and the seller for an amount not more than twenty five per cent of the total consideration for a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement.

3. Acquisition/ transfer shall be in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident Outside India) Regulation 2000, as amended from time to time and Security Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 1997 [SEBI (SAST) Regulations] or any other regulations issued by the SEBI.

4. The Escrow account shall be non-interest bearing.

5. No fund or non-fund based facilities would be permitted against the balances in the Escrow account.

6. Requirement of compliance with KYC guidelines issued by the Reserve Bank shall rest with the Authorised Dealer.

7. Balance in the Escrow account, if any, may be repatriated at the then prevailing exchange rate (i.e., the exchange rate risk will be borne by the person resident outside India acquiring the shares), after all the formalities in respect of the said acquisition are completed.

8. In cases, where proposed acquisition/ transfer does not materialise, the authorised dealer may allow repatriation/ refund of the entire amount lying to the credit of the Escrow account on being satisfied with the bonafides of such remittances.

9. For the purpose of FDI reporting, date of transfer of funds into the bank account of the issuer or transferor of shares, as the case may be, shall be the relevant date of remittance.

SCHEDULE 6

[See Regulation 6(1)]

Acceptance of deposits by a company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with Reserve Bank) on repatriation basis from a Non-resident Indian (NRI) or a Person of Indian origin (PIO)

A company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with the Reserve Bank) may accept deposits from NRIs or PIOs, on repatriation basis subject to the following conditions.

i) The deposits are received under a public deposit scheme.

ii) If the deposit accepting company is a non-banking finance company, it should be registered with the Reserve Bank and should have obtained the required credit rating as stipulated under the guidelines issued by Reserve Bank for such companies.

iii) The amount representing the deposit is received by inward remittance from outside India through banking channels or by debit to the NRE or FCNR (B) Account maintained with an authorised dealer/ authorised bank in India.

iv) If the deposit accepting company is a non-banking finance company, the rate of interest payable on deposits shall be in conformity with the guidelines/ directions issued by Reserve Bank for such companies. In other cases the rate of interest payable on deposits shall not exceed the ceiling rate prescribed from time to time under the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014.

v) The maturity period of deposits shall not exceed 3 years.

vi) The company accepting the deposits shall comply with the provisions of any other law, rules, regulations, orders issued by the Government of India or any other competent authority, as are applicable to it in regard to acceptance of deposits.

vii) The amount of aggregate deposits accepted by the company shall not exceed 35% of its net owned funds.

viii) The payment of interest net of taxes may be made by the company to the depositor by remittance through an authorised dealer or by credit to the depositor's NRE/ FCNR(B)/ NRO/ account as desired by him.

ix) The amount of deposits so collected shall not be utilised by the company for re-lending (not applicable to a Non-Banking Finance Company) or for undertaking agricultural/ plantation activities or real estate business or for investing in any other concern, firm or a company engaged in or proposing to engage in agricultural/ plantation activities or real estate business.

x) The repayment of the deposit may be made by the company to the depositor by remittance from India through an authorised dealer or by credit to the depositor's NRE/ FCNR(B) account maintained with an authorised dealer in India, provided the depositor continues to be a non resident at the time of repayment. While applying to the authorised dealer for remittance of maturity proceeds of deposit or credit thereof to NRE/ FCNR(B) account, the company should certify that the amount of deposit was received either by inward remittance from outside India through banking channels or by debit to the depositor's NRE/ FCNR(B) account, as the case may be.

xi) The amount representing repayment of deposit may also be credited to the depositor's NRO account, at the depositor's option.

SCHEDULE 7

[See Regulation 6(2)]

Acceptance of deposits by Indian proprietorship concern/firm or company (including non-banking finance company registered with Reserve Bank) on non-repatriation basis from Non-resident Indian (NRI) or a Person of Indian Origin (PIO)

A proprietorship concern or a firm in India and a company incorporated in India (including a non-banking finance company registered with Reserve Bank) may accept deposits on non-repatriation basis from NRIs or PIOs subject to the following conditions:

i) In the case of a company, the deposits may be accepted either under private arrangement or under a public deposit scheme.

ii) If the deposit accepting company is a non-banking finance company, it should be registered with the Reserve Bank and should have obtained the required credit rating as stipulated under the guidelines issued by Reserve Bank for such companies.

iii) The maturity period of deposit shall not exceed 3 years.

iv) If the deposit accepting company is a non-banking finance company the rate of interest payable on deposits shall be in conformity with the guidelines/ directions issued by Reserve Bank for such companies. In other cases the rate of interest payable on deposits shall not exceed the ceiling rate prescribed from time to time under the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014.

v) The amount of deposit shall be received by debit to NRO account only, provided that the amount of the deposit shall not represent inward remittances or transfer of funds from NRE/ FCNR (B) accounts into the NRO account.

vi) The proprietorship concern/ firm/ company accepting the deposit should comply with the provisions of any other law, rules, regulations or orders made by Government or any other competent authority, as are applicable to it in regard to acceptance of deposits.

vii) The proprietorship concern, firm or company accepting the deposit shall not utilise the amount of deposits for relending (not applicable to a Non-Banking Finance Company) or for undertaking agricultural/ plantation activities or real estate business or for investing in any other concern or firm or company engaged in or proposing to engage in agricultural/ plantation activities or real estate business.

viii) The amount of deposits accepted shall not be allowed to be repatriated outside India.

[F. No. 1/31/EM/2015]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-charge

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.